हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4(डी) 1–1/ 92 दिनाँक 13.09.2004 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय निगम विहार शिमला–2 के लेखाओं अवधि 04/2019 से 03/2020 का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव व मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर कार्य निष्पादित कियाः–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव		
1	श्री उमेश शर्मा	01.04.2019 से 30.04.2019 तक
2	श्री अक्षय सूद	21.05.2019 से 31.03.2020 तक
(ख) मुख्य लेखा अधिकारी		
1	श्री चन्द्र शेखर सेवल	01.04.2019 से 16.04.2019 तक
2	श्री एल. सी. शर्मा	24.04.2019 से 18.02.2020 तक
3	श्री डी. डी. शर्मा	24.02.2020 से 31.03.2020 तक

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार शिमला–2 के लेखाओं अवधि 01.04.19 से 31.03.20 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹लाखों में)
1	वर्ष 2019–2020 के दौरान भुनाई गई एफडीआर के बॉण्ड/प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	4.3	438.90

2	CPF Provisional Pension Fund के गठन की सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना पैन्शन का अनियमित भुगतान करना	5.2	737.82
3	अंशदायी भविष्य निधि से सावधिक जमा की परिपक्वता राशि से स्त्रोत पर काटे गये आयकर को वापिस प्राप्त न करना	7.1	7.87
4	Leave encashment निधि से सावधि जमा में निवेशित राशि को निजी वित्तीय संस्थाओं में ही निवेश करना	9.5	1003.98
5	विविध बैंक खातों में दिनोंक 31.03.2020 को अन्तशेष के बैंक प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	10(क)	189.49
6	विविध बैंक खातों के दिनोंक 31.03.2020 को दर्शाये गये अन्तशेष के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना	10(ख)	1373.87
7	Fixed Deposit (FDRs) Schedule और Balance Sheet के साथ संलग्न Schedule-"F" से सम्बन्धित Fixed Deposit (HIMUDA) Ledger में दर्शाये गये अन्तिम शेष में अन्तर	12.1	1177.33
8	सावधि जमा में निवेशित राशि को एफडीआर शैड्यूल में न दर्शाया जाना।	12.8	20.53
9	तुलन पत्र (Balance Sheet) में बैंक शेष के अन्तर्गत राशि को कम दर्शाया जाना तथा दिनाँक 01.04.2017 से (Debitaft A/c/IPO) ड्राफ्ट/आईपीओ लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि को दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना।	13	631.73
10	तुलन पत्र (Balance Sheet) में विभिन्न मण्डलों के बैंक शेष के अन्तर्गत राशि को यथावत दर्शाया जाना	14	370.84
11	लीज रेन्ट की बकाया राशि की वसूली न करना	17	3894.27
12	आबंटियों से ग्राउंड रेन्ट की वसूली न करना	18	44.89
13	विभिन्न आवासीय बस्तियों में आबंटित प्लॉट/फ्लैट के आबंटियों से राशि की वसूली न करना	19(क)	1006.37
14	विभिन्न आवासीय कालौनियों/व्यवसायिक परिसरों के आबंटियों से प्राप्त धरोहर राशि को जब्त न करना	19(ख)	870.81
15	विभिन्न निर्माण मण्डलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों के उपभोक्ताओं से Maintenance Charges की वसूली न करना	20(क)	1259.90
16	विभिन्न आवासीय परिसरों से प्राप्त Maintenance Charges (Incomes) की तुलना में आवासीय परिसरों के रख-रखाव (AR & MO of Various Colonies) पर अधिक व्यय करना	20(ख)	101.92
17	विभिन्न निर्माण मण्डलों की हाउसिंग कलौनियों/ स्कीमों/ कमर्शियल प्लाटों के उपभोक्ताओं से बकाया Water Charges की वसूली न करना	21	10.71
18	Secured loan लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ऋण की राशि अधिक दर्शाया जाना	22	1071.74

19	Interest Payable on Govt. Loan लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Credit की राशि Loans(Liability) के अन्तर्गत दर्शाना	23	340.09
20	क्रय जमीनों का समयबद्ध निर्धारित उददृश्यों हेतु उपयोग न करने के कारण धन का अवरोधन करना	24	13016.04
21	क्रय जमीनों का समयबद्ध निर्धारित उददृश्यों हेतु उपयोग न करने के कारण ब्याज के रूप में निष्फल भुगतान करना	24	1800.38
22	विभिन्न विभागों की हाउसिंग स्कीमों के विरूद्ध व्यय की वसूली न करना	26	2863.44
23	स्टॉफ अग्रिमों की वसूली/समायोजन न करना	27(क)	120.17
24	विविध अग्रिमों की वसूली/समायोजन न करना	27(ख)	255.99
25	लेखा शीर्षक Other Misc. Advance A/C के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को समायोजित न करना	27(ग)	31.15
26	अग्रिम आयकर का आयकर विभाग को भुगतान करने के उपरान्त आयकर दायित्व को निर्धारित न करना	29	1341.18
27	दिनॉक 31.03.2020 तक लेखा शीर्षक "Cash in Transit" के अन्तर्गत दर्शाई गई Cr. व Dr. राशि को समायोजित न करना	30	Cr. 484.43 Dr. 229.99
28	Imprest & CSS Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को समायोजित न करना	31(ख)	90538.24
29	लेखा शीर्षक Rectification (Cash Book)-I के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को समायोजित न करना	32	12.74
30	लेखा शीर्षक Suspense A/C (Current Assets) के अन्तर्गत दर्शाई गई (Debit.) राशि को समायोजित न करना	33	5.76
31	लेखा शीर्षक Sundry Debtors के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को समायोजित न करना	34	85.04
32	वित्तीय वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित Current Assets Schedule-G में "Cost of Sale Receivable" लेखा शीर्ष अन्तर्गत दर्शाई गई (Debit.) राशि का स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न करना	35	403.47
33	लेखा सिद्धान्तों के विपरीत Balance Sheet में Current Assets के विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत अन्तिम शेष को क्रेडिट दर्शाया जाना।	36	93590.58
34	बैंक से सावधि जमा के विरूद्ध प्राप्त ऋण (Over Draft) का औचित्य स्पष्ट न करना।	38	520.92
35	Work in progress As per % Completion Method लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न करना	39	11630.16
36	निर्माण कार्यों को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना	40	448.09
37	Security with other Department लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) को दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना	42	777.85

38	Current Assets-Schedule-G में Material for works in Stores (NVP) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि को गत बीस–बाईस वर्षों से यथावत दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना	43(क)	39.36
39	वित्तीय लेन–देनों (Financial Transactions) के विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित न होने/गलत शीर्षक में दर्शाये जाने व वास्तविकता से कम व अधिक दर्शाये जाने के कारण हिमुडा के अन्तिम लेखों मे Dr. व Cr. का सही समायोजन न करना	44.1 से 44.4	Dr. 420.42 Cr. 601.47
40	विभिन्न विभागों से निक्षेप निर्माण कार्यों (Deposit Works) हेतु प्राप्त राशि को व्यय न करना	46	19954.83
41	Current Liabilities Schedule-C में Initial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि का नाम (Debit) शेष दर्शाया जाना	48	2554.08
42	Balance Sheet के Current Liabilities Schedule-C में EXPENSES PAYABLE (ESTABLISHMENT EXP A/C) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Debit. शेष दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना	50	599.88
43	Fixed Assets के Depreciation Schedule में विभिन्न सम्पत्तियों के ऋणात्मक (Minus) शेष दर्शाया जाना	51	4.96
44	Acquisition of Land at Jathia Devi A/C लेखा शीर्षक में HUDCO Loan A/C के Cr. शेष को Prior Period Adjustment A/C लेखा शीर्षक में अनियमित रूप से Dr. करना	52(क)	3398.04
45	Balance Sheet में Liabilities-Schedule-A व Schedule"C" के अन्तर्गत दर्शाई गये लेखा शीर्षकों के शेष का स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न करना	53(क)	3939.92
46	विभिन्न पक्षकारों को चैक/ई0 बैंकिंग (Cheque/NEFT/RTGS/Bank Account) की अपेक्षा नगदी में भुगतान करना	65	6.71
47	निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान करना	71	141.99

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट–"क"** में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट में वर्ष 1985–86 से 2019–20 तक निम्न विवरणानुसार 455 पैरे अनिर्णीत/समायोजन हेतु शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	1985-1986	1
2	1990-1991	3

3	1992-1993	3
4	1996-1997	1
5	1997-1998	1
6	1998-1999	1
7	1999-2000	3
8	2000-2001	11
9	2001-2002	08
10	2002-2003	6
11	2003-2004	1
12	2004-2005	12
13	2005-2006	14
14	2006-2007	7
15	2007-2008	15
16	2008-2009	11
17	2009-2010	15
18	2010-2011	27
19	2011-2012	25
20	2012-2013	14
21	2013-2014	12
22	2014-2015	39
23	2015-2016	64
24	2016-2017	38
25	2017-2018	37
26	2018-2019	32
	योग	**401**

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यायल से सम्बन्धित पैरे

1	1989-1990	1
2	1990-1991	1
3	1991-1992	3
4	1992-1993	2
5	1993-1994	2
6	1994-1995	3
7	1995-1996	5
8	1996-1997	11
9	1997-1998	11
10	1998-1999	7
11	1999-2001	8
	योग	**54**

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई उपरान्त पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय के लेखाओं अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 तक का अंकेक्षण कार्य श्री अनिल शर्मा, संयुक्त निदेशक के पर्यवेक्षण में श्री रविन्द्र कंवर, उप निदेशक, श्री मन्जीत भाटिया सहायक निदेशक तथा श्री सन्तोष कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री उमेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 10.01.2022 से 11.05.2022 तक शहरी आवास एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय, निगम विहार शिमला–2 स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु मास 03/2020 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट किये गये हैं।

"वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों सहित मुख्यालय के लेखाओं अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के अंकेक्षण करने का लेखा परीक्षा शुल्क ₹425800/–आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पत्र संख्या:Fin (LA)(H)2(c)(15)(14)I23/88-Vol-18-4349 दिनाँक 1.7.2022 द्वारा लेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

4 पैन्शन निधि

हिमुडा द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/Acctts/GSPS Scheme/2008/Vol-V, दिनॉक 16.02.2021 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना अनुसार हिमुडा के 547 कर्मचारियों को उनके CPF Board Share की राशि में से सेवा निवृति उपरान्त पेन्शन का प्रावधान करने हेतु संयुक्त सचिव (आवास), हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: एच.एस.जी.–2(बी)10–1/88(लूज), दिनॉक 10.11.2008 को हिमुडा व भारतीय जीवन बीमा के मध्य अनुबन्ध किया गया था। इस के लिए हिमुडा द्वारा पैन्शन कॉरपस फण्ड का गठन भी किया गया है परन्तु वर्ष 2014 में LIC द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों को पैन्शन का भुगतान बन्द किये जाने के कारण प्रकरण वर्ष 2016 से माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 में लम्ब्तिमकपज है। अतः पैन्शन निधि के वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 के लेखों का उपलब्ध करवाये गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.1 बैंक द्वारा सावधिक जमा योजना पर ₹0.16 लाख का ब्याज कम प्रदत करना

अंकेक्षण के दौरान पैन्शन निधि व सावधिक जमा निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्था द्वारा विविध बैंकों में सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों की परिपक्वता पर निम्न विवरणानुसार ₹16254 का ब्याज कम प्राप्त किया गया था जोकि संस्था के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है।

Statement of FDEBITs in respect of HIMUDA HQ PENSION FUND, Distt. Shimla-H.P. 171002

FDEBIT No.	Opening Balance	Rate of intt.	Value as on 31-03-2019 as per FDEBIT Schedule	Intt.	Date of Maturity	Maturity Value Due	Maturity Value Given	Less Intt. Given by bank
HP Co. Op Bank Chhota Shimla (Sectt. Branch)								
100381	9000000.00	6.9	19-01-2019	637254.00	19-01-20	9637254.00	9621000.00	16254.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त कम

ब्याज की प्राप्ति को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा संस्था को हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर बैंक द्वारा कम प्रदत्त की गई ब्याज की शीघ्र प्रतिपूर्ति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 वर्ष 2019–2020 के दौरान सावधिक जमा योजना पर (Accrued interest on FDR) उपार्जित ब्याज ₹24.14 लाख को तुलन पत्र में न दर्शाया जाना व ₹0.14 लाख की कम गणना/आंकलन करना

पैन्शन निधि के अन्तर्गत सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनुसूची व अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा वष 2019–20 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश की गई राशि पर निम्न विवरणानुसार उपार्जित ब्याज (AcCreditued interest) ₹2414120.00 को वर्षवार तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया था जिस कारण प्रस्तुत तुलन पत्र हिमुडा पैन्शन निधि की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करता है क्योंकि मान्य लेखांकन नियमों के अनुसार उपार्जित ब्याज को तुलन पत्र में दर्शाया जाना अपेक्षित था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में आपत्ति जताई गई थी परन्तु अभी तक संस्था द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया था। संस्था द्वारा उपार्जित ब्याज को तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:–

Detail of accrued interest not taken in Balance Sheet		
Year	**Accrued Interest**	**Remarks**
2017-18	664195.00	
2018-19	889358.00	
2019-20	860567.00	
Total	**₹2414120.00**	

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 के दौरान सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (Accrued interest on FDR) की ₹13856.00 से कम गणना/आंकलन किया गया था जिस कारण तुलन पत्र संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। वर्णित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व

वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणो की जाँच संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके तदानुसार लेखों मे भी अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.3 वर्ष 2019—2020 के दौरान भुनाई गई ₹438.90 लाख की एफडीआर के बॉण्ड/प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

पैन्शन निधि के अन्तर्गत सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनुसूची व अभिलेख के अंकेक्षण मे पाया गया कि वर्ष 2019—20 के दौरान **परिशिष्ट—ख,** अनुसार सावधि जमा में निवेशित कुल ₹43890303/— (भुनाई गई सावधि जमा से प्राप्त ₹22669045/— (Encashed FDRs) तथा दिनॉक 31.03.2020 को (FDRs as on 31-03-2020) सावधि जमा में निवेशित ₹21221258/—) के सम्बन्ध मे एफडीआर बॉड/प्रमाण पत्र को संरक्षित/अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था जिस कारण बैंक द्वारा प्रदत ब्याज की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट—2021—22—219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट—2022—23—14 दिनॉक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा बैंक प्रमाण पत्र संरक्षित न किये जाने व अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही व प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित एफडीआर के सम्बन्ध में आवश्यक एफडीआर बॉड/प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंकों से अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किये जाये।

4.4 पैन्शन निधि तुलन पत्र (Balance Sheet) को तुलनात्मक रूप में तैयार न करना

पैन्शन निधि (Pension Fund) के वर्ष 2019—2020 के तुलन पत्र (Balance Sheet) का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रुप (Comparative Form) में तैयार नही किया गया था अर्थात वित्तीय वर्ष 2019—20 के तुलन पत्र (Balance Sheet) में वित्तीय वर्ष 2018—2019 के तुलन पत्र की मदें/राशि नही दर्शाई गई थी जबकि व्यवसायिक लेखांकन के प्रतिपादित नियमानुसार तुलन पत्र (Balance Sheet) को तुलनात्मक रुप (Comparative Form) में तैयार करना अनिवार्य है। अतः लेखांकन के प्रतिपादित नियमानुसार तुलन पत्र में सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों

को तुलनात्मक रूप में दर्शाकर तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

5 CPF प्रोविजनल पैन्शन निधि

5.1 CPF Provisional Pension Fund के तुलन पत्र, रोकड़ बही व अन्य वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमुडा व भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा द्वारा वर्ष 2014 से हिमुडा के सेवानिवृत कर्मचारियों को पैन्शन का भुगतान बन्द किये जाने के उपरान्त हिमुडा द्वारा अपने सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई पैन्शन का भुगतान करने हेतु अलग से CPF Provisional Pension Fund स्थापित किया गया है परन्तु वर्णित निधि से सम्बन्धित तुलन पत्र (Balance Sheet), आय व्यय खाता, सक्षम अधिकारी से सत्यापित रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व वाँछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 CPF Provisional Pension Fund के गठन की सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना पैन्शन ₹737.82 लाख का अनियमित भुगतान करना

CPF Provisional Pension Fund से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई पैन्शन का भुगतान किया गया था। हिमुडा द्वारा वर्ष 2017–18 से दिनाँक 31.03.2020 तक यथा **परिशिष्ट–"ग"** अनुसार कुल ₹73781651.00 लाख का भुगतान इस निधि से किया गया था परन्तु CPF Provisional Pension Fund के गठन से पूर्व हि०प्र० सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जबकि नियमानुसार हिमुडा द्वारा Pension Corpus Fund के गठन करने से पूर्व की गई विहित औपचारिकताओं के उपरान्त ही निधि से भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2021-22-219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2022-23-14 दिनांक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः CPF Provisional Pension Fund के गठन से पूर्व हि०प्र० सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना निधि से किये गये अनियमित भुगतान के सम्बन्ध मे नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

5.3 CPF Provisional Pension Fund में ₹245.00 लाख का अनियमित हस्तांतरण करना

CPF Provisional Pension Fund से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई पैन्शन का भुगतान करने हेतु हिमुडा द्वारा वर्ष 2017-18 से दिनांक 31.03.2020 तक हिमुडा निधि (Own source Fund) से CPF Provisional Pension Fund को कुल ₹24500000 का अनियमित हस्तांतरण किया गया था जबकि नियमानुसार हिमुडा व भारतीय जीवन निगम के मध्य अनुबन्ध अनुसार सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके CPF Board Share से ही पैन्शन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। हिमुडा द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक हिमुडा निधि (Own source Fund) से CPF Provisional Pension Fund को हस्तांतरित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Detail of HIMUDA UCO Bank (Own Source Fund) Account No. 09810200000049 from which the amount was transferred	
Date	**Detail of CPF Provisional Pension Fund Uco Bank Account No. 09810110045145 (In which amount transferred)**
03.05.2017	10,00,0000.00
03.01.2019	10,00,000.00
01.02.2019	30,00,000.00
02.03.2019	15,00,000.00
05-04-2019	20,00,000.00

03-05-2019	25,00,000.00
03-06-2019	20,00,000.00
02-07-2019	25,00,000.00
Total	**2,45,00,000.00**

इस सम्बन्ध मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एआओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 के सन्दर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी से अनियमित हस्तांतरित/भुगतान की गई राशि को नियमित करवाया जाये अन्यथा वर्णित राशि को हिमुडा निधि में वापिस जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.4 CPF Provisional Pension Fund के अन्तर्गत व्यय ₹90.00 लाख को Current Assets शीर्ष के अन्तर्गत न दर्शाया जाना

हिमुडा द्वारा पत्र संख्याः HIMUDA/Accts/GSPS Scheme/2008/Vol-V, दिनॉक 16.02.2021 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचनानुसार हिमुडा के 547 कर्मचारियों को उनके CPF Board Share की राशि से सेवा निवृति उपरान्त पैन्शन का प्रावधान करने हेतु संयुक्त सचिव (आवास), हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः एच.एस.जी.–2(बी)10–1/88(लूज), दिनॉक 10.112008 को हिमुडा व भारतीय जीवन बीमा के मध्य अनुबन्ध किया गया था। इसके लिए हिमुडा द्वारा पैन्शन कॉरपस फण्ड का गठन भी किया गया है परन्तु वर्ष 2014 में LIC द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों को पैन्शन का भुगतान बन्द किये जाने के कारण प्रकरण वर्ष 2016 से माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 में लम्बित है। हिमुडा व भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2014 से हिमुडा के सेवानिवृत कर्मचारियों को पैन्शन का भुगतान बन्द किये जाने के उपरान्त हिमुडा द्वारा अपने सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई पैन्शन का भुगतान करने हेतु अलग से CPF Provisional Pension Fund स्थापित किया गया है। इस निधि से किये गये भुगतान को हिमुडा द्वारा मुख्य तुलन पत्र में Current Assets के अन्तर्गत Pension recoverable from LIC of India शीर्ष में जीवन बीमा निगम से प्राप्ति योग्य राशि में रूप में दर्शाया जा रहा है जिसका शेष वर्ष 2018–2019 के तुलन पत्र अनुसार दिनॉक 31.03.2019 को ₹37242532.00 था जोकि यथावत ही वर्ष

2019–2020 के तुलन पत्र में दर्शाया गया है जबकि नियमानुसार वर्ष 2019–2020 के दौरान हिमुडा निधि (Own source Fund) से CPF Provisional Pension Fund में हस्तांतरित व तदानुसार भुगतान की गई पैन्शन ₹9000000 को वर्णित शीर्षक में जोडकर दर्शाया जाना अपेक्षित था। हिमुडा द्वारा हिमुडा निधि (Own source Fund) से CPF Provisional Pension Fund में हस्तांतरित व तदानुसार भुगतान की गई पैन्शन ₹9000000 को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया था। संस्था द्वारा नियमानुसार CPF Provisional Pension Fund से भुगतान की गई पैन्शन राशि को मुख्य तुलन पत्र में Current Assets के अन्तर्गत Pension recoverable from LIC of India शीर्ष के अन्तर्गत न दर्शाये जाने से एक ओर संस्था जहाँ वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहे है वहीं दूसरी ओर Pension recoverable from LIC of India शीर्ष के अन्तर्गत वसूली योग्य शेष सही राशि का लेखांकन नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 के सन्दर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 EPF (NVP) प्रोविजनल पैन्शन निधि

6.1 EPF Provisional Pension Fund के तुलन पत्र, सत्यापित रोकड़ बही व अन्य वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमुडा द्वारा EPF Holders सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई पैन्शन का भुगतान करने हेतु EPF Provisional Pension Fund का गठन किया गया था परन्तु वर्णित निधि से सम्बन्धित तुलन पत्र (Balance Sheet), आय व्यय खाता, सक्षम अधिकारी से सत्यापित रोकड बही व अन्य सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि वित्तीय नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022 –23–14 दिनाँक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक

संस्था द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः अपेक्षित अभिलेख को अकेक्षण में प्रस्तुत न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.2 EPF Provisional Pension Fund के गठन की सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना EPF & CPF बोर्ड शेयर खातों से ₹50.00 लाख का अनियमित हस्तांतरण तथा पैन्शन ₹53.90 लाख का भुगतान करना

पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी (EPF Holders) हिमुडा में समामेलित हुये थे जिनको हिमुडा में **"हि०प्र० आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2006"** लागू है। इन कर्मचारियों के EPF खातों की सम्पूर्ण राशि भी हिमुडा के खातें में हस्तान्तरित कर दी गई थी जिनके वर्तमान में हिमुडा द्वारा सीपीएफ खाते खोले गये हैं। अंकेक्षण के दौरान EPF Provisional Pension Fund से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि EPF Holder सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई पैन्शन के भुगतान हेतु EPF Provisional Pension Fund का गठन किया गया है जिसमें निम्न विवरणानुसार उनकी EPF & CPF Board Share खाते से वर्ष 2017–18 से 2019–2020 मे ₹5000000/–हस्तांतरित किये गये थे व साथ ही यथा **परिशिष्ट–"ग–1"** अनुसार पैन्शन ₹5390299/– का अनियमित भुगतान भी किया गया था क्योंकि CPF Pension Fund के गठन के अनुरूप EPF Provisional Pension Fund के गठन हेतु हि०प्र० सरकार से पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Detail of HIMUDA UCO Bank EPF & CPF Boad Share Saving Account No. 09810110004524 from which the amount was transferred	
Date	**Detail of** EPF (NVP) Provisional Pension Fund **INDUSIND Saving Account No. 100057693397 (In which amount transferred)**
24-07-2017	50,00,0000,00

उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट 2021–22–219 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 15.03.2022 तथा 22.04.2022 के सन्दर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया। अतः **"हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2006"** के प्रभावी होने के बावजूद व हि0प्र0 सरकार की स्वीकृति के बिना हिमुडा द्वारा पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए EPF Provisional Pension Fund स्थापित करके पैन्शन का भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी से अनियमित हस्तांतरित/भुगतान की गई राशि को नियमित करवाया जाये अन्यथा हस्तान्तरित राशि को वापिस सम्बन्धित निधि में हस्तांतरित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 अंशदायी भविष्य निधि

हिमुडा द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित तुलन पत्र (Balance Sheet) व उपलब्ध करवाये गई वित्तीय विवरणियों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमिततायें पाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–203, 208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 03.03.2022, 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये लेखों एवं वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ था। अतः वर्णित अनियमितताओं का यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 अंशदायी भविष्य निधि से सावधिक जमा की परिपक्वता राशि से स्त्रोत पर काटे गये आयकर ₹7.87 लाख को वापिस प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनाँक 31.03.2020 तक बैंक द्वारा सावधिक जमा निवेश की परिपक्वता पर यथा **परिशिष्ट–"घ"** अनुसार प्रदत्त ब्याज से स्त्रोत पर आयकर ₹787068.59 की कटौती की गई थी जिसे अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र में चालू सम्पति के अन्तर्गत "TDS of FDR Recoverable from IT" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था। चूंकि अंशदायी भविष्य निधि की आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 AAA) के अन्तर्गत कर मुक्त

है इसलिए स्त्रोत पर आयकर कटौती की राशि की वापिस प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस सन्दर्भ में बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–203, 211 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 03.03.2022, 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अंशदायी भविष्य निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाये गये ₹4697.20 लाख के शेष के सन्दर्भ में स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet की Liability Side में Current Liabilities के अन्तर्गत निम्न विवरण अनुसार ₹469719764.00 की राशि दर्शाई गई थी जिस के सन्दर्भ में कोई भी स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि की अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना सम्भव न हो सकी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

लेखा शीर्षक का विवरण	लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई राशि (₹)
CPF Subscription (Regular)	241042350.00
EPF/CPF Board Share Payable	67845343.00
Interest Payable on CPF A/C	160832071.00
Total	**₹469719764.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों के सन्दर्भ में स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार न करने के कारण को स्पष्ट करने व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई

₹469719764 के सन्दर्भ में स्वतः स्पष्ट विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 **"CPF Subscription (Regular) A/C" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹16.75 लाख Dr. का अनियमित समायोजन करना**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र (Balance Sheet) में चालू दायित्व पक्ष (Liability Side) में "CPF Board Share Payable (Daily Wage) A/c लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2020 को Cr. ₹7560697 दर्शाया गया था जिसमें से वर्ष 2019–20 में CPF Board Share (D/W) के रूप में प्राप्त अंशदान ₹1674535/- को क्रेडिट किया गया था तथा चालू दायित्व लेखा शीर्षक "CPF Subscription (Regular) A/C में ही निम्न विवरणानुसार राशि को डेबिट किया गया था जबकि नियमानुसार राशि को चालू सम्पति (Current Assets) लेखा शीर्षक CPF Board Share (D/W) में डेबिट किया जाना अपेक्षित था।

Current Liabilities				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Debit (₹)	Credit (₹)	
CPF Board Share Payable (DW)	5886162 Credit	0.00 Debit	**1674535 Credit** (CPF Board Share (DW) 2019-20)	7560697 Credit
CPF Subscription (Regular)	236195405 Credit	54475610 Debit (Includes Rs. 1674535 CPF Board Share (DW) 2019-20)	59322555 Credit	241042350 Credit

इस प्रकार लेखाकन सिद्धान्तों के प्रतिकूल "CPF Subscription (Regular) A/C से अनियमित रूप से राशि को कम कर दिया गया था जिस कारण तुलन पत्र इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। अंकेक्षण अभियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत समायोजित राशियों के कारण को स्पष्ट करने व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण

औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.4 बैंक द्वारा सावधिक जमा योजना पर ₹8.15 लाख का ब्याज कम प्रदत करना

अंकेक्षण के दौरान अंशदायी भविष्य निधि व सावधिक जमा निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्था द्वारा विविध बैंकों में सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों की परिपक्वता पर यथा **परिशिष्ट–'ड'** अनुसार ₹814930.78 का ब्याज कम प्राप्त किया गया था जोकि संस्था के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त कम ब्याज की प्राप्ति को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा संस्था को हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर बैंक द्वारा कम प्रदत की गई ब्याज की शीघ्र प्रतिपूर्ति/जमा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.5 सावधिक जमा में समान अवधि के लिए एक ही तिथि की अलग–अलग ब्याज दर पर राशि निवेश करने के कारण ब्याज ₹0.08 लाख की सम्भावित हानि

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा के सी0पी0एफ0 (CPF Daily Wages) खाते से निवेशित राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न राशियों को एक ही बैंक की शाखा में समान तिथि को एक समान अवधि के लिए विभिन्न ब्याज दरों पर निवेश किया गया था जिसके कारण संस्था को **परिशिष्ट–ड–1** अनुसार ब्याज ₹8110.75 की सम्भावित वित्तीय हानि हुई है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों के सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर उचित

छानबीन के उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7.6 अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों पर प्राप्त ब्याज की तुलना में सी0पी0एफ0 का अधिक ब्याज दर से भुगतान के कारण वित्तीय हानि

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा के सी0पी0एफ0 खाते से निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज का विभिन्न कर्मचारियों को सीपीएफ की एवज में भुगतान की गई राशि की तुलना में पाया गया की सावधि जमा पर लगभग 6 से 7.50 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हो रहा था जबकि अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली राशि पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था । इस प्रकार अंशदायी भविष्य निधि पर प्राप्त ब्याज की अपेक्षा 1 से 1.5 प्रतिशत अधिक दरों से भुगतान किया गया था जिससे एक ओर जहाँ संस्था को आय की हानि हुई वही दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कर्मचारियों द्वारा निवेशित राशि का क्षय हुआ है यदि संस्था द्वारा इसी प्रकार अधिक दरों पर लाखों के भुगतान पर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित ही संस्था के अन्य कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के लाया जाता है की अर्जित ब्याज की तुलना में अधिक दरो से भुगतान पर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि संस्था के अंशदायी भविष्य निधि के क्षय को कम किया जा सके।

7.7 वर्ष 2019–2020 के दौरान सावधिक जमा योजना पर (Accured interest on FDR) **उपार्जित ब्याज ₹12.17 लाख की कम गणना/आँकलन करना**

अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनुसूची का अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये गये अभिलेख में अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (Accrued interest on FDR) को **परिशिष्ट–"ड"** के अनुसार ₹1217382.68 से कम गणना/आकलन किया गया था जिस कारण तुलन पत्र संस्था की

सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नही करते। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2021-22-208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2022-23-14 दिनाँक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके तदानुसार लेखों मे भी अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.8 अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत हिमुडा मण्डल परवाणु से बोर्ड शेयर के रूप में ₹0.05 लाख की अधिक प्राप्ति करना व दिनाँक 31.03.2020 तक समायोजन न करना

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा के सी0पी0एफ0 (CPF Daily Wages) खाते से निवेशित राशियों का विभिन्न कर्मचारियों को भुगतान की गई से सम्बन्धित अभिलेख की तुलना में पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणु हिमुडा मुख्यालय को माह जनवरी 2020 के बोर्ड शेयर का हस्तांतरण देय शेयर की अपेक्षा ₹5200 से अधिक किया गया था जिसका दिनाँक 31.03.2020 तक समायोजन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2021-22-208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2022-23-14 दिनाँक 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा बोर्ड शेयर के रूप में अधिक हस्तांरित राशि का समायोजन न करने बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः संस्था की निधि से बोर्ड शेयर के रूप में हिमुडा मुख्यालय को अधिक हस्तांतरित की गई ₹5200 का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.9 वर्ष 2019-2020 के दौरान एचडीएफसी बैंक लाईफ ईन्यूरेन्स फण्ड (HDFC Bank life Insurance Fund) में निवेशित राशि पर अधिक दर से ब्याज की गणना करना

अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनुसूची का अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये गये अभिलेख में अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान **परिशिष्ट-"ङ"**, अनुसार एचडीएफसी बैंक लाईफ ईन्यूरेन्स फण्ड में 25.01.2017 को ₹175.00 लाख, 27.06.2017 को ₹130.00 लाख तथा 29.11.2017 को ₹75.00 लाख की

निवेशित राशि पर 8.05 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जा रही थी जबकि अंकेक्षण में प्रस्तुत बैंक प्रमाण पत्र के आधार पर एचडीएफसी बैंक द्वारा ब्याज दर को 7.70 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इस प्रकार बैंक से प्राप्त ब्याज की अपेक्षा हिमुडा द्वारा 0.35 प्रतिशत अधिक दर से ब्याज की गणना की जा रही थी परिणामस्वरूप संस्था की आय वास्तविक से अधिक परिलक्षित होगी जिससे अधिक आयकर का भुगतान व वित्तीय विवरणों से संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित न होना जैसी वित्तीय अनियमितताओं के कारण संस्था का हित प्रभावित होने की संभावना है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–211 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा बैंक से प्राप्त प्रमाण पत्र/बॉण्ड के आधार पर वास्तविक/प्रमाणिक तथ्यों के दृष्टिगत ब्याज की गणना न करने बारे वस्तु स्थिति से अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई ठोस कार्यवाही व प्रत्युतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जॉंच संस्थास्तर पर करके यथाशिघ्र विविध बैंकों में निवेशित राशि के प्रमाण पत्र/बॉण्ड सम्बन्धित बैंको से प्राप्त करके तदानुसार वास्तविक तथ्यों के आधार पर आय का आकलन/गणना को सुनिश्चित करके लेखों में भी नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 उपदान निधि (Gratuity Fund)

हिमुडा द्वारा उपदान निधि (Gratuity Fund) के वर्ष 2019–2020 से सम्बन्धित प्रस्तुत तुलन पत्र (Balance Sheet) का उपलब्ध करवाए गए सम्बनिधत अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 दिनॉक 16.03.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बनिधत वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए इनका यथोचित समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 उपदान निधि से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को उपदान निधि से सम्बन्धित निम्न अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 व एसके/एसओ/स्टेट

ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 16.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अविलम्ब अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यानार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. उपदान निधि के यूको बैंक बचत खाता संख्या 09810100008419 में दिनाँक 31.03.2020 को दर्शाये गये अन्तशेष ₹5602406.91 के सम्बन्ध में बैंक प्रमाण पत्र व बैंक समाधान विवरणी।
2. वित्तीय वर्ष 2019–2020 की उपदान निधि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित रोकड़ बही (Cash Book)।
3. उपदान निधि खाता बही (Ledger)।
4. तुलन पत्र में वर्णित विविध वित्तीय संस्थानो में निवेशित उपदान राशि व प्राप्त ब्याज के सन्दर्भ में दिनाँक 31.03.2020 के अन्त शेष ₹84671436.75 से सम्बन्धित पॉलिसी बॉण्ड/बैंक प्रमाण पत्र।
5. उपदान निधि के आय–व्यय खाते के व्यय पक्ष में वर्णित भुगतान ₹24414359.00 से सम्बन्धित व्यय वाउचर।

8.2 उपदान निधि के तुलन पत्र (Balance Sheet) को तुलनात्मक रूप में तैयार न करना

उपदान निधि (Gratuity Fund) के वर्ष 2019–2020 के तुलन पत्र (Balance Sheet) का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र (Balance Sheet) में वित्तीय वर्ष 2018–2019 के तुलन पत्र की मदें/राशि नहीं दर्शाई गई थी जबकि व्यवसायिक लेखांकन के प्रतिपादित नियमानुसार तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 दिनाँक 16.03.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः लेखांकन के प्रतिपादित नियमानुसार तुलन पत्र में सम्पत्ति एवं दायित्व की मदो को तुलनात्मक रूप में न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य के लिए परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय विवरणों को

तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 उपदान निधि से Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd. में निवेशित राशि पर विविध व्यय के रूप में की गई कटौती ₹0.74 लाख की प्रतिपूर्ति न करना

उपदान निधि (Gratuity Fund) के वर्ष 2019–2020 के तुलन पत्र (Balance Sheet) का अवलोकन करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा उपदान निधि से Master Policy No. 186366243 के अन्तर्गत Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd. में निवेशित राशि पर Bajaj Allianz द्वारा विविध व्यय के रूप में ₹742286 व HDFC life द्वारा Policy No. 81054381 के अन्तर्गत विविध व्यय के रूप में मात्र ₹11.80 की गई कटौती की गई थी परन्तु इसी प्रकार के अन्य निवेशों पर आदित्य बिरला कैपिटल, एलआईसी फण्ड व एसबीआई लाईफ द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय की कटौती नही की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक: 16.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा कटौती की गई विविध व्यय की प्रतिपूर्ति न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थान के समक्ष प्रकरण को उठाकर राशि वापिस प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

9 हिमुडा कर्मचारी Leave encashment निधि

हिमुडा द्वारा Leave Encashment निधि के वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित प्रस्तुत तुलन पत्र (Balance Sheet) का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक: 16.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः

वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए इनका यथोचित समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 आय व व्यय खाते को तैयार किये बिना ही तुलन पत्र (Balance Sheet) में आय का व्यय पर आधिक्य ₹58.89 लाख दर्शाया जाना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के अंकेक्षण में पाया गया कि Balance Sheet (1976400.52 + 3912773.67) की Liability Side व्यय का आय पर आधिक्य (Excess of Income over expenditure) ₹5889174.19 दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार प्राप्ति व भुगतान खाते व आय व व्यय खाते को तैयार करने के पश्चात् ही आय के व्यय पर आधिक्य अथवा व्यय के आय पर आधिक्य को दर्शाया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 16.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखों एवं सम्बन्धित वित्तीय विवरणियों का सुधार करने हेतु परामर्श दिया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए इनका यथोचित समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 विविध वित्तीय विवरणियों/अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित Balance Sheet अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई परन्तु इस के साथ हिमुडा द्वारा निम्न अभिलेख भी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए जिनकी अनुपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेखों/वित्तीय विवरणियों को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित रोकड़ बही।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित बैंक पास बुक व बैंक समाधान विवरणी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित Ledger Accounts.

(iv) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित Trial Balance.

(v) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित Receipt & Payment Account.

(vi) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Employee Leave Encashment Fund से सम्बन्धित Income & Expenditure Account.

(vii) तुलन पत्र मे वर्णित विविध वित्तीय संस्थानो मे निवेशित राशि व प्राप्त ब्याज के सन्दर्भ मे दिनॉक 31.03.2020 के अन्त शेष ₹100397559.45 से सम्बन्धित बैंक प्रमाण पत्र/पॉलिसी बॉण्ड।

9.3 Leave encashment निधि के तुलन पत्र (Balance Sheet) को तुलनात्मक रूप में तैयार न करना

Leave encashment निधि के वर्ष 2019–2020 के तुलन पत्र (Balance Sheet) का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र (Balance Sheet) मे वित्तीय वर्ष 2018–2019 के तुलन पत्र की मदे/राशि नही दर्शाई गई थी जबकि व्यवसायिक लेखांकन के प्रतिपादित नियमानुसार तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार करना अनिवार्य है। अतः लेखांकन के प्रतिपादित नियमानुसार तुलन पत्र में सम्पत्ति एवं दायित्व की मदो को तुलनात्मक रूप में न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य के लिए परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक रूप (Comparative Form) मे तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 Leave encashment निधि के तुलन पत्र (Balance Sheet) को लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार न करना

Leave encashment निधि से सम्बन्धित तुलन पत्र के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा द्वारा तुलन पत्र के सम्पति पक्ष मे दर्शाई मदो को राशि सहित यथावत ही दायित्व पक्ष में समान शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था जबकि मान्य लेखांकन सिद्धान्तो के अनुसार सम्पत्ति व दायित्व पक्ष की मदो को शीर्षक विशेष के अन्तर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार Leave

encashment निधि से विविध वित्तीय संस्थाओं में निवेशित ₹11000000 के प्रीमियम तथा सेवानिवृत हिमुडा अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान की गई Leave encashment ₹10887651/– को भी तुलन पत्र में दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार वर्णित भुगतान को आय व व्यय खाते में दर्शाया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध मे जारी अंकेक्षण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 16.03.2022 तथा 22.04.2022 के सन्दर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 Leave encashment निधि से ₹1003.98 लाख को निजी वित्तीय संस्थाओं में ही निवेश करना

हि0प्र0 सरकार, वित विभाग के पत्र संख्या: फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनॉक 29–04–2020 तथा फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनॉक 03.03.2021 द्वारा पीएसयूज (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)/बोर्ड व सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सी ईत्यादि को अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को सावधि जमा मे निवेश करने बारे निर्दिष्ट किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि सावधि जमा में निवेश की जाने वाली राशि को किसी एक ही बैंक मे निवेश न किया जाए तथा वित्तीय जोखिम व अधिकतम प्रत्याय को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा में निवेश करने हेतु उक्त उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा बैंकों से कुटेशन/कम्पीटिटिव बीड्ड प्राप्त करके अधिकतम ब्याज दर के आधार पर 60% भारत में निगमित राष्ट्रीय बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में व 26% भारत में निगमित अनुसूचित वाणिज्यिक निजि क्षेत्र बैंक तथा 14% भारत मे निगमित अनुसूचित अन्य वाणिज्यिक निजि क्षेत्र बैंक मे निवेश किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **Leave encashment** निधि से दिनॉक 31.3.2020 तक निवेशित शत प्रतिशत ₹100397559.45 को निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों मे निवेश किया गया था जोकि वर्णित निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–220 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 16.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष

के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के दृष्टीगत नियमानुसार सावधि जमा में राशि को निवेशित व परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बैंक समाधान विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान हिमुडा मुख्यालय द्वारा विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों का परिचालन किया गया था। दिनॉक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक शेष में पाये गये अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणियों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिनका यथोचित समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–192, 208 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉकः 08.02.2022, 05.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये लेखों एवं वित्तीय विवरणियों में सुधार व नियमानुसार असमायोजित राशियों का यथाशीघ्र समायोजन करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वर्णित अनियमितताओं का यथोचित समाधान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) विविध बैंक खातों में दिनॉक 31.03.2020 को अन्तशेष ₹189.49 लाख के बैंक प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान परिचालित निम्न बैंक खातों के सन्दर्भ में दिनॉक 31.03.2020 को अन्तशेष ₹18949364.62 से सम्बन्धित बैंक प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में रोकड़ बही में दर्शाये गए अन्त शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी।

Sr. No.	Name of Bank & Account No.	Closing Balance as per Cash Book as on 31.03.2020	Bank Certificate not available
1	Bank of Maharashatra, New Shimla. (60304676034)	1,00,64,348.68 Cr.	Bank Balance Certificate not available
2	AXIS BANK, Kasumpti Shimla-9 (50010100045225)	88,85,015.94 Cr.	Bank Balance Certificate not available

3	Yes Bank Shimla-171001 (0091946000006263)	0.00	Bank Balance Certificate not available
4	H.P. State Co-Operative Bank, Chhota Shimla-2. (40620100386)	0.00	Bank Balance Certificate not available
	Total	**1,89,49,364.62 Cr.**	

उक्त के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–223 दिनॉक 24.03.2022 द्वारा बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अतः इन बैंक खातो के सम्बन्ध में दिनॉक 31.03.2020 को अन्तशेष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इन सभी बैंक खातों के बैंक समाधान विवरणी को बनाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) विविध बैंक खातों के दिनॉंक 31.03.2020 को दर्शाये गये अन्तशेष ₹1373.87 लाख के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान परिचालित निम्न बैंक खातों के सन्दर्भ में दिनॉंक 31.03.2020 को रोकड बही अन्तशेष ₹147072932.90 के सम्बन्ध मे बैंक समाधान विवरणी को तैयार नहीं किया गया था जोकि हि०प्र० वित्तीय नियम 2009 के नियम 2.2 व 10 की अवहेलना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्न खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरणी को तैयार किये बिना ही तुलन पत्र को तैयार किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है।

Sr. No.	Name of Bank & Account No.	Closing Balance as per Cash Book as on 31.03.2020	Closing Balance as Bank Pass Book as on 31.03.2020	Difference	Remarks
1	Uco Bank Nigam Vihar Shimla-2. (09810200000049)	33505835.2	52706583.58	19200748.38	Bank Reconciliation not prepared
2	Indus Ind Bank, The Mall Shimla (200009262878)	911742.71	1408532.71	496790	Bank Reconciliation not prepared
3	Union Bank of India, The Mall Shimla. (309504010018077)	1597794.4	1233126.77	364667.63	Bank Reconciliation not prepared

4	Axis Bank Kasumpti Shimla-9 (500101000045225)	1350557.75	8885015.94	7534458.19	Bank Reconciliation not prepared
5	PNB Kasumpti, Shimla-9 (Not mentioned)	21571.84	Not obtained	21571.84	Bank Reconciliation not prepared
6	PNB Main Loan A/C (Not mentioned)	109685431.00	Not obtained	109685431.00	Bank Reconciliation not prepared
7	Union Bank of India, The Mall Shimla. (309504010032037)	0	83595.37	83595.37	Bank Reconciliation not prepared
Total		**147072932.90**	**64316854.37**	**137387262.41**	

वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–223 दिनॉक 24.03.2022 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति व नियमानुसार कृत कार्यवाही से अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अतः वर्णित बैंक खातो के सम्बन्ध में दिनॉक 31.03.2020 को पाये गये अन्तर के समाधान हेतु बैंक समाधान विवरण बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) वर्ष 2019–20 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ ईंडिया बैंक खाते में डेबिट ₹267.81 लाख के वित्तीय लेन देनों को रोकड़ बही में दर्ज न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ ईंडिया के निम्न वर्णित बैंक खाते के सन्दर्भ में दिनॉक 31.03.2020 को अन्तशेष ₹83595.37 के सम्बन्ध में न तो बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया गया था और न ही डेबिट किये गये **₹26781150.25** के वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखाकिंत किया गया था जोकि हि०प्र० वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है।

Detail of Entries not taken in Cash Book			
Union Bank of India A/C No. 309504010032037			
Date	**Debit**	**Creditedit**	**Balance**
Opening Balance as on 01-04-2019	139782279.38		-139782279.38
27-05-2019	892360.00		-140674639.38

27-05-2019		9900000.00	-130774639.38
27-05-2019		168117.00	-130606522.38
27-05-2019		9900000.00	-120706522.38
27-05-2019		213836.00	-120492686.38
27-05-2019		9900000.00	-110592686.38
27-05-2019		219932.00	-110372754.38
27-05-2019		9900000.00	-100472754.38
27-05-2019		470731.00	-100002023.38
27-05-2019		9900000.00	-90102023.38
27-05-2019		472391.00	-89629632.38
27-05-2019		4606891.00	-85022741.38
27-05-2019		305785.00	-84716956.38
27-05-2019		9900000.00	-74816956.38
27-05-2019		474047.00	-74342909.38
27-05-2019		9900000.00	-64442909.38
27-05-2019		475705.00	-63967204.38
27-05-2019		9900000.00	-54067204.38
27-05-2019		658418.00	-53408786.38
27-05-2019		9900000.00	-43508786.38
27-05-2019		659721.00	-42849065.38
27-05-2019		9900000.00	-32949065.38
27-05-2019		667525.00	-32281540.38
27-05-2019		9900000.00	-22381540.38
27-05-2019		668826.00	-21712714.38
27-05-2019		9900000.00	-11812714.38
27-05-2019		672728.00	-11139986.38
28-05-2019		10588447.00	-551539.38
28-05-2019		**6252270.00**	**5700730.62**
28-05-2019		9900000.00	15600730.62
28-05-2019		681293.00	16282023.62
28-05-2019		558693.38	16840717.00
28-05-2019		10024028.62	26864745.62
28-05-2019	25800000.00	₹26781150.25	1064745.62
31-05-2019	780988.00	Dr.. entries not found in cash book	283757.62
15-10-2019	200000.00		83757.62
16-03-2020	162.25		83595.37
Balance as on 31-03-20			**83595.37**
Total	**167455789.63**	**167539385.00**	

उपरोक्त के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–223 दिनाँक 24.03.2022 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति व नियमानुसार कृत कार्यवाही से अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अतः वर्णित बैंक खाते के सम्बन्ध में दिनाँक 31.03.2020 तक की प्रविष्टियों को रोकड बही मे दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अन्तर के समाधान हेतु बैंक समाधान विवरण तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) आई0डी0बी0आई0 बैंक (खाता संख्या 139102000000196)

रोकड बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
932029	964563	32534

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित है:–

(i) ₹60 की राशि के कालातीत हो चुके चैकों का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि ₹60 के चैक को दिनाँक 3.1.2015 को भुगतान हेतु जारी किया गया था जिसे भुगतान हेतु दिनाँक 31.03.2020 तक प्रस्तुत नही किया गया था जबकि नियमानुसार उक्त चैक के कालातीत हो जाने के कारण राशि को रोकड बही में वापिस लिया जाना अपेक्षित था। लगभग छः से सात वर्ष उपरान्त भी कालातीत चैक के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में न लाना हिमुडा की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही/चैक की Reverse प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) ₹0.32 लाख की राशि के चैकों का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि ₹31974 के चैकों को माह फरवरी व मार्च 2020 के दौरान भुगतान हेतु जारी किया गया था जिसे भुगतान हेतु दिनाँक 31.03.2020 तक प्रस्तुत नही किया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण मे पूर्ण छानबीन उपरान्त तदानुसार भुगतान हेतु लम्बित चैकों का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ड) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (ईस्ट), शाखा हि०प्र० सचिवालय (खाता सख्या 55069385958) दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
1789402.31	1804536.81	15134.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न टिप्पणियां अपेक्षित है:–

(i) अन्तर ₹0.15 लाख का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में पाया गया कि विभिन्न तिथियों को निम्न विवरणानुसार बैंक खाते में राशि को डेबिट व क्रेडिट किया गया था परन्तु इन राशियों को डेबिट व क्रेडिट किये जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। वर्णित राशियाँ लगभग चार–पाँच वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित है जिनका दिनाँक 31.03.2020 तक समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष डेबिट व क्रेडिट प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Effect Given	Particular of Entries not adjusted till 31-03-2020	राशि (₹)
Add	Credit Given By Bank Dt. 12.07.2014.	33967.00
	Excess amount accounted in cash book Dt. 01.09.2017	50.00
	Intt. Not entered in cash book on Dt. 25.03.2020 but not recorded in Cash Book till 31.03.2020	9557.00
Total		**43574**
Less	Debit given by the Bank on Dt. 2016-2017	500.00
	Debit given by the Bank on Dt. 01.09.2017	295.00
	Debit given by the Bank on Dt. 31.10.2017	2000.00
	Debit given by the Bank on Dt. 01.04.2017	25261.00
	Debit given by the Bank on Dt. 23.05.2018	295.00
	Debit given by the Bank on Dt. 03.12.2018	88.50
Total		**28439.50**
Difference		**15134.50**

अतः प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर विस्तृत जाँच उपरान्त वर्णित राशि का नियमानुसार समायोजन सुनिश्चित करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, दी माल शिमला (मुख्य शाखा खाता संख्या 10835924576 चालू खाता)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
0.00	0.00	0.00

बैंक समाधान विवरणी वर्ष 2019–20 के अवलोकन से विदित हुआ कि इस खाते में कोई भी लेन–देन नहीं किया गया था जिससे यह खाता निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः वर्णित बैंक खाते का रख–रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बैंक खाते को बन्द करके इसमें जमा राशि को अन्य बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाये।

(छ) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा (सचिवालय) छोटा शिमला (खाता संख्या 43520199907)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
413047.00	413047.00	शून्य

(ज) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा छोटा शिमला (खाता संख्या 40620100386)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न थाः–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
0.00	0.00	शून्य

(झ) येस बैंक, टालैंड, शिमला (सेविंग बैंक खाता संख्या 009194600000263)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न थाः–

रोकड बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
0.00	0.00	शून्य

बैंक समाधान विवरणी वर्ष 2019–20 के अवलोकन से विदित हुआ कि इस खाते में कोई भी लेन–देन नहीं किया गया था जिससे यह खाता निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः वर्णित बैंक खाते का रख–रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बैंक खाते को बन्द किया जाये ताकि किसी प्रकार के अनावश्यक बैंक प्रभार से होने वाली वित्तीय हानि से बचा जा सके।

(ञ) Axis बैंक, कुसुम्पटी (Axis Bank, A/C No. 915020062377695) (Escrow)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार जमा निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
400757.00	400757.00	शून्य

(ट) आंध्रा बैंक, शिमला (सेविंग बैंक खाता संख्या 205911100000450)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
156350.98	156350.98	शून्य

(ठ) ICICI, The Mall, शिमला (बैंक खाता संख्या 635305001255)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
394084.17	394084.17	शून्य

(ड) ICICI, संजौली शिमला (बैंक खाता संख्या 169805000562)

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
510000.00	0.00	510000.00

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न टिप्पणियां अपेक्षित है:–

(i) अन्तर ₹5.10 लाख का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी में पाया गया कि संस्था द्वारा बैंक खाते में दिनाँक 20.06.2016 को ₹510000 के चैक को बैंक खाते में जमा किया गया था परन्तु बैंक द्वारा राशि को दिनाँक 31.03.

2020 तक क्रेडिट नहीं किया गया था जिसके कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। वर्णित राशि लगभग छः से सात वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित थी जिस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नही लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष डेबिट व क्रेडिट प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Effect Given	Particular of Entries not adjusted till 31-03-2020	राशि (₹)
Less	Cheque deposited into bank but not Credit by bank, dt. 20-06-2016	510000.00
	Total	**510000.00**

अतः प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच उपरान्त नियमानुसार वर्णित राशि का समायोजन सुनिश्चित करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ढ) BANDHAN बैंक, शिमला (बैंक खाता संख्या 10170003421517)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
0.00	0.00	शून्य

बैंक समाधान विवरणी वर्ष 2019–20 के अवलोकन से विदित हुआ कि इस खाते में कोई भी लेन–देन नही किया गया था जिससे यह खाता निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः वर्णित बैंक खाते का रख–रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बैंक खाते को बन्द किया जाये ताकि किसी प्रकार के अनावश्यक बैंक प्रभार से होने वाली वितीय हानि से बचा जा सके।

(ण) महाराष्ट्र बैंक, शिमला (बैंक खाता संख्या 60304676034)

दिनाँक 31.03.20 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
10320624.24	10317034.68	3589.56

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी वर्ष 2019–20 के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनाँक 31.03.2020 तक बैंक द्वारा बैंक प्रभार ₹3589.56 की कटौती की गई थी जिसकी रोकड बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त उपरान्त वर्णित राशि की रोकड बही में आवश्यक प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(त) एच.डी.एफ.सी. बैंक दि मॉल शिमला (खाता सख्या 55069385958)

दिनाँक 31.03.2020 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार शेष जमा निम्न था:–

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
361800.00	0.00	361800.00

बैंक समाधान विवरणी मे पाया गया कि संस्था द्वारा बैंक खाते में वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान ₹361800 के चैक को बैंक खाते में जमा किया गया था परन्तु बैंक द्वारा राशि को दिनाँक 31.03.2020 तक क्रेडिट नही किया गया था जिसके कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। वर्णित राशियाँ लगभग पन्द्रह से सोलह वर्षो से समायोजन हेतु लम्बित थी जिस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष डेबिट व क्रेडिट प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Effect Given	Particular of Entries not adjusted till 31-03-2020	राशि (₹)
Less	Cheque deposited into bank but not Credit by bank. dt. 08-10-2006	133100.00
	Cheque deposited into bank but not Credit by bank. dt. 07-08-2009	86400.00
	Cheque deposited into bank but not Credit by bank. dt. 09-10-2009	42500.00
	Cheque deposited into bank but not Credit by bank. 2015-2016	99800.00
	Total	**361800.00**

अतः इस सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त उपरान्त वर्णित राशि की रोकड बही में आवश्यक प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 रोकड़ बही में प्राप्त आय में से ₹0.70 लाख को अनियमित रूप से हस्तगत रखना

हि०प्र० वितीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 अनुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना तथा रोकड बही को नियमित रूप से लेखाकिंत करना, बंद करना, जोड की जाँच करना, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित व नियमानुसार मिलान किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा दैनिक आधार पर राशि को बैंक खाते में जमा नहीं किया जा रहा था अर्थात रोकड में से एक निश्चित राशि लगभग ₹70000 से ₹198000 को दैनिक आधार पर नियमित रूप से हस्तगत रखा गया था जोकि हि०प्र० वितीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 तथा हि०प्र० वितीय नियमावली 2009 के नियम 10 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता भी है। संस्था द्वारा नियमित रूप से एक निश्चित राशि को हस्तगत रखना संदेह जनक कार्यप्रणाली को इंगित करता है तथा ऐसे मे किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। चयनित माह के दौरान हस्तगत रखी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :-

Statement showing the detail of day wise Cash in hand during the month of 03/2020

Date	Opening Balance	Receipt	Total	Payment	Balance kept as cash in hand
1-3-2020	178142.12		178142.12		178142.12
2-3-2020	178142.12	8506	186648.12	36167	150481.12
3-3-2020	150481.12	6590	157071.12	4000	153071.12
4-3-2020	153071.12	20647	173718.12	17439	156279.12
5-3-2020	156279.12	38178	194457.12	10000	184457.12
6-3-2020	184457.12	2873	187330.12	0	187330.12
7-3-2020	187330.12	500	187830.12	113000	74830.12
8-3-2020	74830.12	51779	126609.12	0	126609.12
9-3-2020	126609.12	0	126609.12	0	126609.12
10-3-2020	126609.12	0	126609.12	0	126609.12
11-3-2020	126609.12	13596	140205.12	0	140205.12

12-3-2020	140205.12	922	141127.12	708	140419.12
13-03-2020	140419.12	11960	152379.12	81000	71379.12
14-03-2020	71379.12	0	71379.12	0	71379.12
15-03-2020	71379.12	0	71379.12	0	71379.12
16-03-2020	71379.12	23422	94801.12	0	94801.12
17-03-2020	94801.12	25016	119817.12	10000	109817.12
18-03-2020	109817.12	8675	118492.12	0	118492.12
19-03-2020	118492.12	30592	149084.12	0	149084.12
20-03-2020	149084.12	49596	198680.12	63600	135080.12
21-03-2020	135080.12	510	135590.12	437	135153.12
22-03-2020	135153.12	0	135153.12	0	135153.12
23-03-2020	135153.12	5500	140653.12	20000	120653.12
24-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
25-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
26-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
27-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
28-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
29-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
30-03-2020	120653.12	0	120653.12	0	120653.12
31-03-2020	120653.12	298862	4158337	356351	120653.12

Statement showing the detail of day wise Cash in hand during the month of 02-2020

Date	Opening Balance	Receipt	Total	Payment	Balance kept as cash in hand
1/2/2020	103344.12	1534.00	104878.12	0.00	104878.12
2/2/2020	104878.12	0.00	104878.12	0.00	104878.12
3/2/2020	104878.12	15524.00	120402.12	0.00	120402.12
4/2/2020	120402.12	30480.00	150882.12	1934.00	148948.12
5/2/2020	148948.12	0.00	148948.12	77952.00	70996.12
6/2/2020	70996.12	10794.00	81790.12	10000.00	71790.12
7/2/2020	71790.12	10962.00	82752.12	16000.00	66752.12
8/2/2020	66752.12	0.00	66752.12	0.00	66752.12
9/2/2020	66752.12	0.00	66752.12	0.00	66752.12
10/2/2020	66752.12	35912.00	102664.12	0.00	102664.12
11/2/2020	102664.12	13384.00	116048.12	1060.00	114988.12
12/2/2020	114988.12	43545.00	158533.12	0.00	158533.12

12/2/2020	158533.12	29672.00	188205.12	84845.00	103360.12
14/02/2020	103360.12	632.00	103992.12	0.00	103992.12
15/02/2020	103992.12	8422.00	112414.12	0.00	112414.12
16/02/2020	112414.12	0.00	112414.12	0.00	112414.12
17/02/2020	112414.12	17319.00	129733.12	12000.00	117733.12
18/02/2020	117733.12	1257423.00	1375156.12	1262550.00	112606.12
19/02/2020	112606.12	598.00	113204.12	0.00	113204.12
20/02/2020	113204.12	22263.00	135467.12	15000.00	120467.12
21/02/2020	120467.12	0.00	120467.12	0.00	120467.12
22/02/2020	120467.12	5186.00	125653.12	0.00	125653.12
22/02/2020	125653.12	0.00	125653.12	0.00	125653.12
24/02/2020	125653.12	28844.00	154497.12	0.00	154497.12
25/02/2020	154497.12	48525.00	203022.12	5000.00	198022.12
26/02/2020	198022.12	34995.00	233017.12	100000.00	133017.12
27/02/2020	133017.12	11192.00	144209.12	0.00	144209.12
28/02/2020	144209.12	21984.00	166193.12	498.00	165695.12
29/02/2020	165695.12	14457.00	180152.12	2010.00	178142.12

उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि संस्था द्वारा प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना ही सीधे (Direct) ही व्यय किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जबकि नियमानुसार प्राप्त आय/राशि को बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है एवं तदोपरान्त ही राशि को व्यय किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022 –23–09 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 19.04.2022 तथा 22.04.2022 के अन्तर्गत वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमित रूप से रखे गये हस्तगत शेष की संस्थास्तर पर सत्यापना/उचित जॉच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि वर्तमान में नितान्त आवश्यकतानुसार ही रोकड़ को हस्तगत रूप में रखा जाये एवं रोकड़ बही को हि०प्र० वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 व वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 अनुसार तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

12 मुख्य कार्यालय (सावधि जमा लेखा)

हिमुडा द्वारा विभिन्न खातों में निवेशित राशि का विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। सावधि जमा लेखा की अंकेक्षण में पडताल करने पर निम्न अंकेक्षण टिप्पणियां अपेक्षित है जिनका यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

12.1 Detailed of Fixed Deposit (FDRs) Schedule और वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के साथ संलग्न Schedule-"F" से सम्बन्धित Fixed Deposit (HIMUDA) Ledger में दर्शाये गये अन्तिम शेष में ₹1177.33 लाख का अन्तर पाया जाना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के साथ संलग्न Detailed FDR Schedule और Balance Sheet के FDR Schedule- F मे दिनॉक 31.03.2020 को विभिन्न FDRs में निवेशित राशि का अन्तिम शेष निम्न प्रकार से दर्शाया गया था।

Investments				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Investments				
Himuda Group Company				
Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020			
	Opening	**Transactions**		**Closing**
	Balance	Debit	Credit	**Balance**
Fixed Deposit (HIMUDA)	**404864537.00 Dr.**	*58633024.00*	*286959761.56*	**176537799.44 Dr.**
FDEBITS A/C (MAIN CASH BOOK)	404764537.00 Dr.	58633024.00	286959761.56	176437799.44 Dr.
FDEBIT Security A/c (HR Recovery S.C. Sood)	*100000.00 Dr.*			*100000.00 Dr.*
Investments Under Gratuity Fund	**52384390.00 Dr.**	*24491002.00*	*25576903.00*	**51298489.00 Dr.**
Payment of Gratuity Fund Policies	*52384390.00 Dr.*	24491002.00	25576903.00	*51298489.00 Dr.*
Grand Total	**457248927.00 Dr.**	***83124026.00***	***312536664.56***	**227836288.44 Dr.**

Particulars	**As per Balance Sheet (Shedule –F) (₹)**	**As per FDR Schedule (₹)**	**Diff. (₹)**
Fixed Deposit A/C Main Cash book	227836288.44 Dr.	110103636.00 Dr.	117732652.44 Dr.

इस प्रकार Fixed Deposit (Main Cash Book) से सम्बन्धित Ledger में दर्शाए गए अन्तिम शेष और अंकेक्षण को प्रस्तुत Detailed FDRs Schedule (HIMUDA) में दिनांक 31.03.2020 को FDRs के अन्तिम शेष में उपरोक्तानुसार Debit ₹117732652.44 का अन्तर था जबकि नियमानुसार यह राशि एक समान होनी चाहिए थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा उक्त अन्तर को स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया। अतः दिनांक 31.03.2020 को अंकेक्षण में प्रस्तुत Balance Sheet के साथ संलग्न Schedule "F" तथा Detailed FDR Schedule और FDR Ledger में दर्शाये गए FDRs के अन्तिम शेष में अन्तर की पूर्ण छानबीन उपरान्त लेखों में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.2 Detailed FDRs Schedule में TDS on account of Interest Receipt on FDRs से सम्बन्धित ₹8.24 लाख को वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Current Assets Schedule के अन्तर्गत न दर्शाया जाना

लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान FDRs में निवेशित राशि की परिपक्वता पर अर्जित व्याज से स्त्रोत पर की गई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं द्वारा Income Tax की गई कटौती की राशि को TDS on account of Interest Receipt on FDRs लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Balance sheet में Current Assets के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान FDRs पर अर्जित ब्याज की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा FDRs Interest पर कुल ₹823982.60 TDS on account of interest Receipt on FDRs की कटौती की गई थी परन्तु इस राशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Current Liability पक्ष में Shedule-C में Duties and Taxes लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Debit पक्ष में दर्शाया गया था। उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 दिनांक 09.03.2022 के सन्दर्भ में संस्था द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान TDS on account of interest Receipt on FDRs की राशि को Current

Assets के स्थान पर Current Liability में दर्शाये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा तुलन पत्र में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.3 सावधि जमा में निवेशित राशि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण सावधि निवेश रजिस्टर व अनुसूची में स्वतः स्पष्ट रूप से न दर्शाना

हिमुडा द्वारा समय–समय पर किए गए सावधि निवेशों की जॉच करने पर पाया गया कि निवेशों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे की सावधि जमा में निवेश की तिथि, लागू ब्याज दर, निवेश अवधि, परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज, बैंक द्वारा परिपक्वता पर प्रदत राशि, पुनः निवेश की स्थिति में प्रचलित ब्याज दर ईत्यादि का सावधि जमा रजिस्टर में स्वतः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था तथा सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के पुनः निवेश की स्थिति में आवश्यक उचित लेखांकन जैसे की प्राप्त ब्याज/संशोधित मूल राशि का विवरण, टीडीएस का विवरण ईत्यादि का विवरण भी रजिस्टर में नही दिया गया था जिसके कारण सावधि जमा रजिस्टर संस्था द्वारा किये गये निवेश की सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहा था। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार आपत्तियॉ उठाई गई थी परन्तु हिमुडा द्वारा अभी तक नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉकः 09.03.2022 तथा 22.04.2022 के सम्बन्ध में संस्था द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का अविलम्ब रख–रखाव करने हेतु प्रकरण पुनः हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है, ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता की सम्भवना को नकारा जा सके।

12.4 सावधिक जमा योजना पर ₹53.09 लाख का ब्याज कम प्राप्त करना

अंकेक्षण के दौरान मुख्य कार्यालय सावधिक जमा निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्था द्वारा विविध बैंकों में सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियो की परिपक्वता पर **परिशिष्ट–'ज'** अनुसार ₹5308581.09 का ब्याज कम प्राप्त किया गया था जोकि संस्था के अकुशल वितीय प्रबन्धन को दर्शाता है। इस सम्बन्ध मे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14

दिनाँकः 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त कम ब्याज की प्राप्ति को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा संस्था को हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर बैंक द्वारा कम प्रदत की गई ब्याज की शीघ्र प्रतिपूर्ति/जमा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.5 सावधिक जमा में समान अवधि के लिए एक की तिथि की अलग–अलग ब्याज दर पर राशि निवेश करने के कारण ब्याज ₹2.03 लाख की सम्भावित हानि

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा के मुख्य कार्यालय से निवेशित राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न राशियों को एक ही बैंक की शाखा में समान तिथि को एक समान अवधि के लिए विभिन्न ब्याज दरों पर निवेश किया गया था तथा निजि बैंकों में निवेशित राशि के तुलनात्मक विश्लेषण में यह भी पाया गया कि समान तिथि को अधिक ब्याज दर प्रदान कर रहे बैंक में निवेश न करके अन्य निजि बैंकों में कम ब्याज दर पर ही सावधि जमा में निवेश किया गया था जिस कारण संस्था को **परिशिष्ट–'झ'** अनुसार ब्याज ₹203348.73 की सम्भावित वित्तीय हानि हुई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँकः 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों के सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर उचित छानबीन के उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12.6 वर्ष 2019–2020 के दौरान सावधिक जमा योजना पर (Accrued interest on FDRs) **उपार्जित ब्याज ₹2.29 लाख की कम गणना/आंकलन करना**

अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनुसूची का अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये गये अभिलेख में अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2019–20

के दौरान सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (Accrued interest on FDRs) को यथा **परिशिष्ट–"ज"** अनुसार ₹228763.10 से कम गणना/आंकलन किया गया था जिस कारण तुलन पत्र संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 दिनॉकः 09.03.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर संस्था से प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जॉच संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके तदानुसार लेखों में भी अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.7 वर्ष 2019–2020 के दौरान भुनाई गई व सावधि जमा में निवेशित ₹3909.31 लाख की एफडीआर के एफडीआर बॉड/प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

मुख्य कार्यालय सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनूसूची/अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान **परिशिष्ट–"ज"** अनुसार सावधि जमा को भुनाने से प्राप्त ₹286228775.85 (Encashment of FDRs) रोकड तथा दिनॉक 31.03.2020 तक सावधि जमा में निवेशित ₹104702296.00=कुल ₹390931071.85 के सम्बन्ध में एफडीआर बॉड/प्रमाण पत्र को संस्था द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिस कारण बैंक द्वारा प्रदत ब्याज, सावधि जमा की अवधि व सावधि जमा में निवेशित राशि के अन्त शेष ईत्यादि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉकः 09.03.2022 तथा 22.04.2022 के अन्तर्गत बैंक प्रमाण पत्र संरक्षित न किये जाने व अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही व प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित एफडीआर के सम्बन्ध में आवश्यक एफडीआर बॉड/प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंकों से अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12.8 सावधि जमा में निवेशित ₹20.53 लाख को एफडीआर शैड्यूल में न दर्शाया जाना।

सावधिक जमा में निवेशित विभिन्न राशियों से सम्बन्धित अनुसूची/अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान यथा **परिशिष्ट–"छ"** के क्रम संख्याः 18 के अनुसार सावधि जमा जिसका मूल्य 31.03.2019 का ₹1948271 तथा 31.03.2020 को ₹2052809 दर्शाया गया है को वर्ष 2011 से सावधि जमा मे निवेश किया गया है परन्तु 31.03.2019 तक एफडीआर शैड्यूल में नहीं दर्शाया गया था जिस कारण FDRs Schedule में दिनाँक 31.03.2019 के अन्त शेष व दिनाँक 01.04.2019 के प्रारम्भिक शेष में ₹1948271 का अन्तर पाया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसका मुख्य कारण विविध बैंकों में निवेशित राशि के एफडीआर बॉण्ड/प्रमाण पत्रों को संरक्षित न करना व सावधि जमा रजिस्टर का संरक्षण नियमानुसार न करना है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँकः 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा वर्ष 2011 से सावधि जमा में निवेशित एफडीआर ₹1948271 को शैड्यूल में नहीं दर्शाये जाने के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति कोई भी उत्तर संस्था द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब विविध बैंकों में निवेशित राशि के प्रमाण पत्र/बॉण्ड सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त करके तदानुसार वास्तविक तथ्यों के आधार पर आय का आंकलन/गणना को सुनिश्चित करके लेखों में भी नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता को नकारा जा सके।

12.9 सावधि जमा ₹3963.32 लाख को नियमानुसार निवेशित न करना

हि०प्र० सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनाँक 29–4–2020 तथा फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनाँक 3.3.2021 द्वारा पीएसयूज (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)/बोर्ड व सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सी ईत्यादि को अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को सावधि जमा में निवेश करने बारे निर्दिष्ट किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि सावधि जमा में निवेश की जाने वाली राशि को किसी एक ही बैंक में निवेश न किया

जाए तथा वित्तीय जोखिम व अधिकतम प्रत्याय को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा में निवेश करने हेतु उक्त उपकमों/संस्थाओं द्वारा बैंकों से कुटेशन/कम्पीटिटिव बीड्स प्राप्त करके अधिकतम ब्याज दर के आधार पर 60% भारत में निगमित राष्ट्रीय बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में व 26% भारत में निगमित अनुसूचित वाणिज्यिक निजि क्षेत्र बैंक तथा 14% भारत में निगमित अनुसूचित अन्य वाणिज्यिक निजि क्षेत्र बैंक में निवेश किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ज"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार मुख्य कार्यालय सावधि जमा खाते में दिनॉक 31.3.2020 को सावधि जमा में निवेशित ₹396332411.85 को हि0प्र0 सरकार के उक्त वर्णित पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत निवेश नही किया गया था जिससे संस्था को ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय की हानि हुई है जोकि संस्था के अकुशल वितीय प्रबन्धन को दर्शाता है। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–212 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक: 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के दृष्टीगत नियमानुसार सावधि जमा में राशि को निवेशित व परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 तुलन पत्र (Balance Sheet) में बैंक शेष के अन्तर्गत ₹631.73 लाख Dr. को कम दर्शाया जाना तथा दिनॉक 01.04.2017 से (Debit A/c/IPO) ड्राफ्ट/आईपीओ शीर्षक के अन्तर्गत ₹631.73 लाख Cr. को दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तुलन पत्र (Balance Sheet) में चालू सम्पति (Current Assets Schedule-G) के अन्तर्गत बैंक खाते शीर्षक में ₹243088573.71 Dr. को दर्शाया गया था परन्तु वास्तविक में यह राशि ड्राफ्ट/आईपीओ शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹63173204.27 Cr. को कम करने के पश्चात् शेष रहती थी। हिमुडा द्वारा ड्राफ्ट/आईपीओ शीर्षक के अन्तर्गत ₹63173204.27 Cr. को दिनॉक 01.04.2017 से लगभग 3 वर्षों से यथावत ही दर्शाया जा रहा है जबकि नियमानुसार ड्राफ्ट/आईपीओ की राशि को तीन माह के पश्चात् कालातीत/समयबद्ध होने के कारण लेखों में विपरीत प्रविष्टियो द्वारा सुधार किया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा

नियमानुसार कार्यवाही न करने के कारण वित्तीय लेखे इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नही करते हैं। अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचनानुसार यह राशि वर्ष 2017–18 से यथावत दर्शाई जा रही है जिससे प्रतीत होता है कि यह राशि मात्र लेखों के समायोजन हेतु काल्पनिक रूप से दर्शाई गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार के वित्तीय दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नकारा नही जा सकता, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

IN CURRENT & SAVING A/C 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020 *IN CURRENT & SAVING A/C* 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	**Opening Balance**	**Transactions** Debit	Creditedit	**Closing Balance**
DHARAMSHALA DIVISION (BANK A/C)	**9010508.05 Dr.**			**9010508.05 Dr.**
DIV. NO-1 (BANK A/C)	**2635066.34 Dr.**			**2635066.34 Dr.**
DIV. NO-2 (BANK A/C)	**4789053.43 Dr.**			**4789053.43 Dr.**
Electrical Hamirpur (Bank A/c)	**4465197.60 Dr.**			**4465197.60 Dr.**
ELECTRICAL SHIMLA (BANK A/C)	**2682283.34 Dr.**			**2682283.34 Dr.**
HEAD OFFICE (BANK A/C)	**316682309.09 Dr.**	*1575905709.80*	*1623410676.64*	**269177342.25 Dr.**
MANDI DIVISION (BANK A/C)	**3246306.60 Dr.**			**3246306.60 Dr.**
PARWANOO DIVISION (BANK A/C)	**10256020.37 Dr.**			**10256020.37 Dr.**
Total	**353766744.82 Dr.**	*1575905709.80*	*1623410676.64*	**306261777.98 Dr.**
Debitaft A/c/IPO	63173204.27 **Cr.**	*968507494.80*	*968507494.80*	**63173204.27 Cr.**
Grand Total	**290593540.55 Dr.**	***2544413204.60***	***2591918171.44***	**243088573.71 Dr.**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–224 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 26.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था से प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर सम्बन्धित अन्य प्रकरणों की जाँच सुनिश्चित करके सही तथ्यों/ऑकडों की गणना उपरान्त लेखों में भी अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 तुलन पत्र (Balance Sheet) में विभिन्न मण्डलों के बैंक शेष के अन्तर्गत ₹370.84 लाख Dr. को दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तुलन पत्र (Balance Sheet) में चालू सम्पति (Current Assets Schedule-G) के अन्तर्गत बैंक खाते शीर्षक में ₹243088573.71 Dr. को दर्शाया गया था परन्तु निम्नविवरणानुसार विभिन्न निर्माण मण्डलों के दिनॉक 01.04.2019 तथा 31.03.2020 के शेष को यथावत ही दर्शाये गया था अर्थात् न तो वर्ष 2019–20 के दौरान कोई राशि डेबिट की गई थी और न ही क्रेडिट जोकि किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है जिस कारण हिमुडा के अन्तिम लेखें इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं। हिमुडा द्वारा यह राशियां दिनॉक 01.04.2016 से लगभग 4 वर्षों से यथावत ही दर्शाई जा रही है जिससे यह भी प्रतीत होता है कि यह राशि मात्र लेखों के समायोजन हेतु काल्पनिक रूप से दर्शाई गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय दुर्विनियोजन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Himuda Group Company IN CURRENT & SAVING A/C Group Summary 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening Balance	Transactions		Closing Balance
		Debit	Credit	
DHARAMSHALA DIVISION (BANK A/C)	9010508.05 Dr.			9010508.05 Dr.
DIV. NO-1 (BANK A/C)	2635066.34 Dr.			2635066.34 Dr.
DIV. NO-2 (BANK A/C)	4789053.43 Dr.			4789053.43 Dr.
Electrical Hamirpur (Bank A/c)	4465197.60 Dr.			4465197.60 Dr.
ELECTRICAL SHIMLA (BANK A/C)	2682283.34 Dr.			2682283.34 Dr.
MANDI DIVISION (BANK A/C)	3246306.60 Dr.			3246306.60 Dr.
PARWANOO DIVISION (BANK A/C)	10256020.37 Dr.			10256020.37 Dr.
Total	**37084435.73 Dr.**			**37084435.73 Dr.**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–224 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 26.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था से प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का

नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच सुनिश्चित करके सही तथ्यों/आँकडों की गणना उपरान्त लेखों में भी अपेक्षित सुधारात्मक/नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 तुलन पत्र (Balance Sheet) में विद्युत मण्डल हमीरपुर के बैंक शेष के अन्तर्गत ₹44.65 लाख Dr. को दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तुलन पत्र (Balance Sheet) में चालू सम्पति (Current Assets Schedule-G) के अन्तर्गत बैंक खाते शीर्षक में ₹243088573.71 Dr. को दर्शाया गया था परन्तु निम्नविवरणानुसार विद्युत मण्डल हमीरपुर के बैंक खाते में दिनॉक 31.03.2020 को ₹4465197.60 दर्शाया गया था जबकि विद्युत मण्डल हमीरपुर वर्तमान में अस्तित्व में ही नही है जोकि लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व ही धर्मशाला हस्तांतरित किया गया था। हिमुडा द्वारा विद्युत मण्डल हमीरपुर के बन्द होने के लगभग 6 से 7 वर्ष के उपरान्त भी दिनॉक 01.04.2014 से यथावत राशि को अस्तित्व में रखना संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा ऐसे में किसी भी प्रकार के वित्तीय दुर्विनियोजन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

IN CURRENT & SAVING A/C

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	Opening	Transactions		Closing
	Balance	Debit	Credit	Balance
Electrical Hamirpur (Bank A/c)	4465197.60 Dr.			4465197.60 Debit

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–224 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 26.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था से प्राप्त नही हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच सुनिश्चित करके सही तथ्यों/आँकडों की गणना उपरान्त लेखों में भी अपेक्षित सुधारात्मक/नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 तुलन पत्र (Balance Sheet) में एफडीआर शैड्यूल (FDRs Schedule) की तुलना में बैंक में निवेशित (FDRs) ₹664.34 लाख को अधिक दर्शाया जाना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तुलन पत्र (Balance Sheet) में चालू सम्पति (Current Assets) के अन्तर्गत मुख्य रोकड बही से किये गये निवेश (Investment) शीर्षक में ₹176537799.44 को दर्शाया गया था परन्तु एफडीआर शैड्यूल (FDRs Schedule) **परिशिष्ट "छ"** अनुसार दिनॉक 31.03.2020 को एफडीआर में ₹110103636 निवेशित थी। इस प्रकार तुलन पत्र में एफडीआर शैड्यूल (FDRs Schedule) की तुलना में एफडीआर को ₹66434163.44 से अधिक दर्शाया गया था जोकि अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस कारण संस्था के लेखे इस हद तक संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नही करते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Investments				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
	Investments			
	Himuda Group Company			
Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020			
	Opening	Transactions		Closing
	Balance	Debit	Credit	Balance
Fixed Deposit (HIMUDA)	**404864537.00 Dr.**	*58633024.00*	*286959761.56*	**176537799.44 Dr.**
FDEBITS A/C (MAIN CASH BOOK)	404764537.00 Dr.	58633024.00	286959761.56	176437799.44 Dr.
FDEBIT Security A/c (HR Recovery S.C. Sood)	*100000.00* Dr.			*100000.00* Dr.
Investments Under Gratuity Fund	**52384390.00 Dr.**	*24491002.00*	*25576903.00*	**51298489.00 Dr.**
Payment of Gratuity Fund Policies	*52384390.00* Dr.	24491002.00	25576903.00	*51298489.00* Dr.
Grand Total	**457248927.00 Dr.**	***83124026.00***	***312536664.56***	**227836288.44 Dr.**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2021-22-224 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2022-23-14 दिनॉक 26.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था से प्राप्त नही हुआ। अतः वर्णित

अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणो की जॉच सुनिश्चित करके सही तथ्यों/ऑकडो की गणना उपरान्त लेखों में भी अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 लीज रेन्ट की बकाया ₹3894.27 लाख की वसूली न करना

इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉटस से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों की खाताबहियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि आबंटियों से नियमानुसार Lease Rent की वसूली नहीं की गई थी। सम्बन्धित विवरण पुस्तिकाओं में वर्णित शर्त संख्याः 14 एवं 17 (5) के अनुसार इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लॉट के आबंटियों से पूर्ण लागत की प्राप्ति के उपरान्त वार्षिक दर से लीज रेन्ट की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु **परिशिष्ट "ञ"** में वर्णित प्रकरणों में गत कई वर्षों से लीज रेन्ट की वसूली न करने के कारण दिनॉक 31.03.2020 तक ₹389427081 वसूली हेतु शेष थे जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त लीज रेन्ट की बकाया ₹389427081 का लेखांकन अन्तिम लेखों/तुलन पत्र (Balance Sheet) में भी नहीं किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–222 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 23.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वर्णित अनियमितताओं का यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अतः तुलन पत्र में बकाया/अदत्त आय को न दर्शाये जाने तथा अनेक वर्षो से लम्बित चली आ रही लीज रेन्ट की वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार नियमानुसार ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में हिमुडा द्वारा यथोचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

18 आबंटियों से ₹44.89 लाख ग्राउंड रेन्ट की वसूली न करना

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्शियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राउंड रेन्ट की राशि प्रति वर्ष प्राप्त की जानी

अपेक्षित है। ग्राउंड रेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख व यथा **परिशिष्ट "ट"** अनुसार अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन में पाया गया कि आबंटियों से दिनॉक 31.03.2020 तक ग्राउंड रेन्ट ₹4489142/- वसूली हेतु शेष थी जिनमें से अधिकतम राशियॉं गत 20-22 वर्षों से वसूली हेतु लम्बित दर्शाई जा रही है तथा इनकी वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त ग्राउंड रेन्ट की वसूली हेतु वर्णित शेष ₹4489142/- का लेखांकन अन्तिम लेखों व तदानुसार तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) में भी नहीं किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। यद्यपि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी वर्णित अनियमितता बारे बार-बार आपत्ति उठाई गई थी इसके बावजूद भी राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2021-22-222 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2022-23-14 दिनॉक 23.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ था। अतः तुलन पत्र में बकाया/अदत्त आय को न दर्शाए जाने तथा अनेक वर्षो से लम्बित चली आ रही ग्राउंड रेन्ट की वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लम्बित आय की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर ठोस पग उठाए जाएं व तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 (क) विभिन्न आवासीय बस्तियों में आबंटित प्लॉट/फ्लैट के आबंटियों से ₹1006.37 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान चयनित आबंटियों से सम्बन्धित प्रकरणों के अवलोकन में पाया गया कि दिनॉक 31.03.2020 को विभिन्न आवासीय बस्तियों में आबंटित फ्लैट/प्लॉट के आबंटियों से **परिशिष्ट "ठ"** में दिये गये विवरणानुसार ₹100637476/-गत कई वर्षो से वसूली हेतु लम्बित थी। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली हेतु दिनॉक 31.03.2020 तक कोई भी ठोस प्रयास नही किये गये थे जबकि इन फ्लैटों/प्लॉटों के आबंटन की शर्तों के अनुसार प्रावधित समय अवधि के उपरान्त विक्रय राशि को प्राप्त न करने के कारण इनका आबंटन रद्द करना व धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में

242

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–222 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 23.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली व नियमानुसार कार्यवाही न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः विभिन्न आवास बस्तियों के फ्लैट/प्लॉट के आबंटियों से ₹100637476/– की वसूली ब्याज सहित करने व जिन आबंटियों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आबंटन नियमानुसार रदद् करके धरोहर राशि को जब्त करने तथा रदद किये गये फ्लैट/प्लाट को पुनः बाजार भाव पर आबंटित करने हेतु मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आवासीय कालौनियां जिनसे विगत कई वर्षों से फ्लैट/प्लाट के विक्रय की बकाया राशि की वसूली लम्बित है, का विवरण विभागीय तौर पर तैयार करके उनके प्रकरणों में भी उक्त वर्णित नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये तदानुसार एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) विभिन्न आवासीय कालौनियों/व्यवसायिक परिसरों के आबंटियों से प्राप्त ₹870.81 लाख की धरोहर राशि को जब्त न करना

विभिन्न आवासीय बस्तियों में आबंटित फ्लैट/प्लॉट के आबंटियों से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों की खाताबहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ₹97917369/– (अनुमानित मूल्य) के आबंटित फ्लैट/प्लाट में से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को दिनॉक 31.03.2020 तक केवल ₹10836417/– (अनुमानित) की धरोहर राशि तो प्राप्त हो चुकी थी परन्तु देय बिक्री मूल्य की किस्त राशि ₹87080952/– (अनुमानित) वसूली (ब्याज रहित) हेतु शेष थी तथा ऐसी अवस्था में आवास बस्तियों/औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्लॉट आबंटन के लिये बनाये गये नियम 12 (iii) के अनुसार "यदि आबंटियों द्वारा फ्लैट/प्लाट आबंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो उनके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त किया जायेगा किन्तु हिमुडा द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "ङ"** में फ्लैट/प्लॉट के आबंटियों के सन्दर्भ में ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतीत नहीं होती है अर्थात न तो आबंटन रदद् किया गया था और न ही धरोहर राशि जब्त की गई थी। यदि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाती तो इन फ्लैट/प्लॉट की पुनः नीलामी करके हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–222 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 23.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली व नियमानुसार कार्यवाही न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों का आबंटन रद्द करके धरोहर राशि को जब्त करके हिमुडा निधि में हस्तांतरित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) आबंटियों की खाता बहियों का दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार रख–रखाव न करना

आबंटियों की खाताबहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों का रख–रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया गया था अर्थात जिन आबंटियों को फ्लैट/प्लाट का आबंटन किया गया उनसे जिस तिथि को राशि देय होगी उसकी प्रविष्टि नियमानुसार डेबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार देय किश्त (इन्सटॉलमेन्ट) की राशि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी कॉलम मे तथा सम्बन्धित आबंटियों से मूलधन व ब्याज की जितनी राशि शेष है उसकी प्रविष्टि खाताबही के शेष कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है किन्तु हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–222 दिनाँक 23.03.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार लेखों का संधारण/अनुरक्षण न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है कि ताकि आबंटियों के खातों का उचित अंकेक्षण सम्भव होने के अतिरिक्त वित्तीय विवरणियों अर्थात तुलन पत्र/आय व व्यय विवरण से हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

(घ) आबंटियों से वर्ष के अन्त में वसूली योग्य राशि (मूल एवं ब्याज) को लेखा शीर्षक "Account Receivable/Debtors" में शामिल न करना

वर्षान्त 31.03.2020 को समस्त आबंटियों से उनको आबंटित प्लाटों/फ्लैटों से भविष्य में किश्तों के रूप में मूल प्राप्य राशि व विलम्ब से जमा राशियों पर प्राप्य ब्याज राशियों का कोई भी विवरण/शेडयूल हिमुडा द्वारा न तो तैयार किया गया था और न ही इसे तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड "Account Receivables/Debtors" में शामिल किया गया था। चूंकि हिमुडा के अन्तिम खाते दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, इस आधार पर वर्षान्त में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है तथा उनसे कितनी राशि प्राप्त करने हेतु शेष है का पूर्ण विवरण अन्तिम खातों में दिया जाना अपेक्षित है जिससे कि तुलन पत्र द्वारा हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके परन्तु ऐसा कोई भी विवरण/शेडयूल तैयार न करना तथा सम्बन्धित राशि को तुलन पत्र में न दर्शाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही करने हेतु लाते हुए यह परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक वर्षान्त को विभिन्न आबंटियों से प्राप्त योग्य मूल व ब्याज राशियों के विवरण/शेडयूल तैयार करके तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड "Account Recevables/Debtors" में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–222 दिनॉक 23.03.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार लेखों का संधारण/अनुरक्षण न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है कि ताकि आबंटियों के खातों का उचित अंकेक्षण सम्भव होने के अतिरिक्त वित्तीय विवरणियो अर्थात तुलन पत्र/आय व व्यय विवरण से हिमुडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

20 (क) विभिन्न निर्माण मण्डलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों के उपभोक्ताओं से Maintenance Charges ₹1259.90 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets के Schedule G में Maintenance Charges Receivable लेखा शीर्षक के अन्तर्गत **Debit.** शेष ₹**86905148** दर्शाया गया था जोकि **Credit** शेष ₹39084703 के घटाव के पश्चात् शेष रहता था। अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जाँच में पाया गया कि उक्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹**125989851.00 Dr.** निम्न निर्माण मण्डलों से वसूली हेतु शेष थी। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपभोक्ताओं से Maintenance Charges की नाममात्र की वसूली की गई थी। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में वसूली हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Himuda Group Company Current Assets MAINTENANCE CHARGES RECEIVABLE (Asset) Group Summary 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	**Opening Balance**	**Transactions**		**Closing Balance**
		Dr.	Cr.	
MAINTENANCE CHARGES RECEIVABLE				
Maintance Charges Receivable - Shimla Div 2	2606251.00 Dr.			2606251.00 Dr.
Maintance & Water Charges Receivable A/c -Shimla-1	132759.00 Dr.			132759.00 Dr.
Maintenace Charge Receivable Ac	104523187.00 Dr.	84164369.00	90951072.00	97736484.00 Dr.
Maintenance Charges Recievable A/c	2686911.00 Dr.			2686911.00 Dr.
Maintenance Charges Recievable-Dharamshala Div	11449776.00 Dr.			11449776.00 Dr.
Mantance Charge Recaveable A/c	11377670.00 Dr.			11377670.00 Dr.
Total	**132776554.00 Dr.**	**84164369**	**90951072**	**125989851.00 Dr.**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अभियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 14.02.2022 व 03.03.2022 तथा 22.04.2022

द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली व नियमानुसार कार्यवाही न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान Maintenance Charges की नाममात्र वसूली करने व क्रेडिट दर्शाये गये शेष को नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाए तथा करोड़ों की राशि की वसूली बकाया होने के दृष्टिगत प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि सम्बन्धित निर्माण मण्डलों को वर्णित Maintenance Charges की वसूली अतिशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाने बारे आवश्यक निर्देश जारी किये जाये जाए ताकि संस्था को ब्याज के रूप में हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके तथा प्रतिवर्ष बकाया राशि में हो रही वृद्धि की शतप्रतिशत वसूली को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) विभिन्न आवासीय परिसरों के सन्दर्भ में प्राप्त Maintenance Charges (Incomes) की तुलना में आवासीय परिसरों के रख–रखाव (AR & MO of Various Colonies) पर ₹101.92 लाख का अधिक व्यय करना

हिमुडा एक व्यवसायिक संस्था होने के कारण विभिन्न उपभोक्ता, व्यक्तियों, विभागों संस्थाओं को आवासीय परिसरों की बिक्री करता है साथ ही इन सभी आवासीय परिसरों के रख–रखाव पर प्रति वर्ष हिमुडा द्वारा व्यय किया जाता है जिसे AR & MO of Various Colony लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी आवासीय परिसरों के आबंटियों से प्रतिवर्ष रख–रखाव शुल्क की वसूली की जाती है जिसे Maintenance Charges Receipt लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। अंकेक्षण में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान AR & MO of various colony और Maintenance Charges Receipt की तुलना करने पर पाया गया कि Mainntence charges Receipt की तुलना में AR & MO of Various Colony पर निम्न विवरणानुसार ₹10191833/– का अधिक व्यय किया गया था जबकि एक व्यवसायिक संस्था होने के कारण AR & MO of Various Colony पर किया गया व्यय प्राप्त Maintenance Charges के बराबर या उससे कम होना चाहिए था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Comparison between Maintenance Receipts & AR&MO Expenditure related to Various Works during 2019-2020	
Particulars	**Amount (₹)**
Maintenance Receipts during the year 2019-20 in R/o various Colonies	5,51,62,722.00
Total	**5,51,62,722.00**

A/R & M/O Road at Mandhala	11,01,317.00
ARMO Road Kalujanda	17,48,090.00
AR & MO of Various Colony	6,25,05,148.00
Total Expenditure	**65354555.00**
Excess AR & MO Expenditure over Maintenance Receipts during the year 2019-2020	**1,01,91,833.00**

अतः प्राप्त Maintenance Charges से अधिक AR & MO of various Colony पर किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में AR & MO of various colony के अनुरूप Maintenance Charges प्रभारित करने की सम्भावना को तलाशा जाए ताकि इस मद से हिमुडा को हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

21 **विभिन्न निर्माण मण्डलों की हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों के उपभोक्ताओं से दिनाँक 31.03.2020 तक Water Charges Receivable शीर्षक के अन्तर्गत Cr. शेष ₹15.58 लाख पाया जाना तथा बकाया Water Charges ₹10.71 लाख की वसूली न करना**

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets के Schedule G में Water Charges Receivable लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Cr. शेष ₹487428/– दर्शाया गया था जोकि **Debit.** शेष ₹1070741 के घटाव के पश्चात् शेष रहता था। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में परवाणू निर्माण मण्डल के अतिरिक्त अन्य निर्माण मण्डलों द्वारा न तो उपभोक्ताओं से Water Charges ₹1070741/– की कोई वसूली की गई थी और न ही वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तिम लेखों में उनसे देय Water Charges हेतु Water Charges Receivable का कोई प्रावधान किया गया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त निर्माण मण्डल के Cr. शेष ₹1558169/– से प्रतीत होता है कि देय (Receivable) राशि से अधिक राशि की प्राप्ति/वसूली की गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होती है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में वसूली हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Himuda Group Company				
Current Assets				
Water Charges Receivable (Asset) Group Summary				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	**Opening Balance**	**Transactions** Dr	Cr	**Closing Balance**
Water Charges Receivable -Dharamshala Division	*987638.00 Dr*			*987638.00 Cr*
Water Charges Receivable -Shimla Div 2	*64550.00 Dr*			*64550.00 Cr*
Water Charges Recievable A/c Mandi Div	*18553.00 Dr*			*18553.00 Cr*
Total	**1070741.00** *Dr*			**1070741.00** *Cr*
Water Charges Recivable A/c Pwn Div	*548473.00 Dr*	7242680.00	8250376.00	*1556169.00 Cr*
Water Connection Fee, Ponta	*2000.00 Dr*			*2000.00 Cr*
Total	**550473.00 Cr.**	*7242680.00*	*8250376.00*	**1558169.00 Cr.**
Net Effect				**487428.00 Cr.**

इस अनियमितता का मुख्य कारण या तो लेखो में Water Charges Receivable राशि का उचित प्रावधान न करना या Water Charges प्राप्ति राशि को आय लेखा शीर्षक को Cr.करने की अपेक्षा Water Charges Receivable लेखा शीर्षक को Cr. करना है। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय की अधिकतम, Water Charges Receivable व दायित्वों की राशि को वित्तीय विवरणियों में वास्तविक से कम दर्शाया गया है जिसके कारण तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा हिमुडा की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। उक्त के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एराके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनाँक 14.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली व नियमानुसार कार्यवाही न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान Water Charges की कोई भी वसूली व Water Charges Receivable राशि का उचित प्रावधान न करने को न्यायोचित ठहराया जाए और सम्बन्धित निर्माण मण्डलों को वर्णित Water Charges की अतिशीघ्र वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने बारे भी आवश्यक निर्देश जारी किये जाए। इसके अतिरिक्त परवाणु निर्माण मण्डल द्वारा Water Charges Receivable लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹1595225 Cr.शेष दर्शाए जाने व मुख्यालय खातों में ₹1558169 Cr. शेष दर्शाये जाने के सम्बन्ध

में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 Secured loan लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ऋण ₹1071.74 लाख Cr. अधिक दर्शाया जाना

Balance Sheet के साथ संलग्न Secured Loan से सम्बन्धित Schedule-B और विभिन्न ऋणों से सम्बन्धित **परिशिष्ट "ढ"** अनुसार ऋण विवरणिकाओं (Loan Statement) की तुलना में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के सुरक्षित ऋण (Secured Loan) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ऋण की राशि Crr. **₹107174284.00** अधिक दर्शाई गई थी।

Secured Loans 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	**Opening Balance (₹)**	**Transactions**		**Closing Balance (₹)**
		Dr. (₹)	**Cr. (₹)**	
Acqusition of Land at Jathia Devi Shimla	122364000 Cr.	72480000	0.00	49884000 Cr.
ANDHRA BANK LOAN A/C Nargota, Dharamshala.	326877777.00 Cr.	82888892.00	0.00	243988885.00 Cr.
ANDHRA BANK LOAN A/C Sohala, Sirmour.	173333332.00 Cr.	66666668.00	0.00	106666664.00 Cr.
PNB Housing Scheme Loan A/C at Chetra, Una.	97424048.00 Cr.	0.00	32451926.00	129875974.00 Cr.
Grand Total	**719999157.00 Cr.**	**222035560.00**	**32451926.00**	**530415523.00 Cr.**
Balance of Secured loan as per balance sheet Schedule - B				**637589807.00 Cr.**
		Excess loan shown under balance sheet schedule - B		**107174284.00 Cr.**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–216 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 11.03.2022 तथा 22.04.2022 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सुरक्षित ऋण (Secured Loan) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत अधिक दर्शाई गई राशि Cr. **₹107174284.00** को उचित कारणों सहित या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में लेखों व वित्तीय विवरणियों में अपेक्षित आवश्यक सुधार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 Interest Payable on Govt. Loan लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹340.09 लाख Cr. की राशि Loans(Liability) के अन्तर्गत दर्शाना

Balance Sheet के साथ संलग्न Loan (Liability) से सम्बन्धित Schedule-B की जाँच में पाया गया कि Interest Payable on Govt. Loan लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹34009411.00 Cr.

दर्शाई गई थी। वर्णित राशि वर्ष 2011 से यथावत ही दर्शाई जा रही है तथा यह राशि किस ऋण से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था द्वारा 10 से 12 वर्षों से यथावत बिना किसी परिवर्तन के दर्शाया जाना संदिग्ध/काल्पनिक राशि को दर्शाता है जिससे संस्था के लेखे सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Himuda Group Company Loans (Liability) 1-Apr-2011 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening Balance	Transactions		Closing Balance
		Dr	Cr	
Interest Payable On Govt Loan	34009411.00 Cr			34009411.00 Cr
Grand Total	**34009411.00 Cr.**			**34009411.00 Cr.**

इस सम्बन्ध मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–08 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 19.04.2022 तथा 22.04.2022 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः सरकारी ऋण पर देय ब्याज ₹34009411/– को वार्षिक लेखों में दर्शाये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अन्तिम लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 ₹13016.04 लाख की क्रय जमीनों का समयबद्ध निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग न करने के कारण धन का अवरोधन करना तथा ब्याज के रूप में ₹1800.38 लाख का निष्फल भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान जमीनों के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि हिमुडा द्वारा अवधि 2016 से 2020 के दौरान यथा **परिशिष्ट–"द"** अनुसार ₹1301604000 बैंकों से ऋण लेकर विभिन्न स्थानों पर जमीनों का क्रय किया गया था जिस पर दिनॉक 31.03.2020 तक ब्याज ₹180038498 की अदायगी के रूप में भी भुगतान किया गया था परन्तु क्रय की गई जमीनों में हिमुडा द्वारा अभी तक निर्माण गतिविधियों को प्रारम्भ नहीं किया गया था। सामान्यतः हिमुडा द्वारा जमीनों का क्रय करने के उपरान्त विकसित करके आवास बस्तियो को बसाने हेतु फ्लैट्स व प्लॉट का विक्रय किया जाता है जिससे हिमुडा द्वारा लाभ अर्जित किया जाता है। परन्तु हिमुडा

जैसी व्यवसायिक संस्था द्वारा जमीनों को क्रय करने के लगभग 5 से 6 वर्षो के पश्चात् भी निर्माण गतिविधियों को प्रारम्भ नही किये जाने कारण जहाँ एक ओर ऋण के रूप में प्राप्त की गई राशि का अनावश्यक अवरोधन हो रहा है वहीं दूसरी ओर ब्याज के रूप में अनावश्यक रूप से लाखों का निष्फल भुगतान किया गया है जोकि हिमुडा के अकुशल वितीय प्रबन्धन को दर्शाता है। हिमुडा द्वारा बिना नितान्त आवश्यकता के लाखो के ऋण के दायित्व उत्पन्न करने व नियमित रूप से देय/प्रदत ब्याज के कारण निश्चित रूप से हिमुडा की वितीय स्थिति प्रभावित होने के अतिरिक्त निर्माण कार्यो की लागत में भी वृद्धि हो रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of land Purchased By Himuda

Sr. No.	Name of site where land purchased.	Date of purchase.	Area of land purchased.	Amount of loan sanctioned against land loan (Rs)	Amount of loan Realised upto 31.3.20	Weather development of site or construction activity has been started on land till date.	Name of funding agency if land purchase from loan.	Up to date position of loan As on 31/03/20 (Rs)	Amount of interest paid on loan upto 31.3.2019 (Rs)
1	Jathia Devi, Shimla.	10/02/2016	247 Bigha	339804000	339804000	Not started.	HUDCO Chandigarh	49884000	88868562
2	Sohala, Sirmour.	24/08/2017	570 Bigha	300000000	240000000	Not started.	Andhra Bank Now UBI, BCS New Shimla.	106666664	38348247
3	Nargota, Kangra	29/09/2018	332 Bigha	373000000	347600000	Not started.	-DO-	243988885	42391070
4	Chhetra, Una	12/02/2019	630-650 Kannal out of which Ag. Exe. For 540 Kannal.	288800000	97424048	Not started.	PNB, The Mall, Shimla.	129875974	10430619
		TOTAL		1301604000	1024828048			530415523	180038498

252

वर्णित अनियमितताओ के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याःएसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–222 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 23.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा बिना नितान्त आवश्यकता के लाखों के ऋण का दायित्व उत्पन्न करने बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि प्रकरण के सन्दर्भ में अविलम्ब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में लाया जाये ताकि हिमुडा को प्रतिवर्ष लाखों में हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

25 Fornt Fee और Loan Application Fee लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹30.38 लाख Dr. की राशि Securd Loan के अन्तर्गत दर्शाना

Balance Sheet के साथ संलग्न Secured Loan से सम्बन्धित Schedule-B की पड़ताल करने पर पाया गया कि "Secured Loan" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Cr. ₹637589807 दर्शाई गई थी। इस Schedule के अन्तर्गत दर्शाई गए विभिन्न लेखा शीर्षकों का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि "Front Fee" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Dr. ₹2524180 और लेखा शीर्षक "Loan Aplication Fee" के अन्तर्गत Dr.. ₹513538 दर्शाई गई थी जोकि विभिन्न वित्तीय संस्थाओ से ऋण लेने के लिए Processing Fee के रूप में भुगतान की गई थी। लेखाकन के मान्य सिद्धान्तोंके अनुसार यह एक प्रकार का व्यय था जिसे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लाभ–हानि खाते में व्यय शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके इन व्ययों को ऋण की राशि में से कम करके दर्शाया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि इसके कारण ऋण की कुल देय राशि को ₹3037718 (₹2524180 + ₹513538) से कम करके वार्षिक लेखों में दर्शाया गया था। परिणामतः इस हद तक अन्तिम लेखें हिमुडा की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नही करते है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–216 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 11.03.2022 तथा 22.04.2022 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः ऋण पर व्यय की गई ₹3037718 के लाभ हानि खाते में न दर्शाये जाने और ऋण की देय राशि को कम करके वार्षिक लेखों में दर्शाये जाने

को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अन्तिम लेखों में त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26 विभिन्न विभागों की हाउसिंग स्कीमों के विरूद्ध व्यय ₹2863.44 लाख की वसूली न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance sheet से सम्बन्धित Current Assets के Schedule G में "Recoverable Amount on A/C of Other Dept. Schemes" का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्णित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत Dr.शेष ₹46876257.00 दर्शाया गया था जोकि Cr. शेष ₹239467427.00 के घटाव के पश्चात् शेष रहता था जबकि वास्तविक रूप से निम्न विवरणाअनुसार Dr. शेष ₹286343684.00 वसूली हेतु शेष थी। निम्न सारणी से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 के दौरान कई विभागों से हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोई भी वसूली नहीं की गई थी तथा यह गत गई वर्षों से यथावत/कुछ वृद्धि सहित दर्शाई जा रही है इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में वूसली हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Current Assets

RECOVERABLE AMOUNT ON A/C OF OTHER DEPT. SCHEME (Asset) Group Summary

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	Opening Balance	Transactions Debit	Transactions Creditedit	Closing Balance
RECEIPT-POLICE RENTAL HOUSING SCHEME	239458627 Cr.			239458627 Cr.
Recovery of Personal Pay	**8800.00 Cr.**			**8800.00 Cr.**
Total				**239467427.00 Cr.**
DEPOSIT WORK FOR NAVODYA VIDYALAYA	9379963.16 Dr			9379963.16 Dr.
GOVT. RENTAL HOUSING SCHEME(PART-1)	5728468.29 Dr			5728468.29 Dr
POLICE RENTAL HOUSING SCHEME	271235252.55 Dr			271235252.55 Dr
Total				**286343684.00** Dr
Net Effect				**46876257.00** Dr

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197, 203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 14.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा विभिन्न विभागों से वर्णित बकाया राशि की वसूली न किये जाने व वसूली हेतु किए गए प्रयासों बारे आवश्यक सूचना मॉगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सम्बन्धित विभागों से वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए और वर्णित राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्णित अनुसूची में लेखा शीर्षक "Recovery of Personal Pay" के अन्तर्गत ₹8800 Creditedit दर्शाई गई थी, जोकि इस लेखा शीर्षक से सम्बन्धित प्रतीत नहीं होती। अतः इस राशि को उक्त शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि को समायोजित करके त्रुटि का सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 अस्थाई अग्रिम

(क) स्टॉफ अग्रिमों ₹120.17 लाख की वसूली/समायोजन न करना

Balance Sheet के साथ विभिन्न अग्रिमों से सम्बन्धित संलग्न Current Assets Schedule-G का अवलोकन करने पर पाया गया कि "Loans & Advances (Assets)" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत **Dr.** शेष **₹33295645.93** दर्शाया गया था जोकि Cr. शेष की मदों के घटाव के पश्चात् शेष रहता था जबकि वास्तविक रूप से निम्न विवरणानुसार कुल **Dr. ₹12016815.03** की राशि गत कई वर्षो से विभिन्न अग्रिमों के रूप में वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी परन्तु यह राशियॉ कब से व किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित है इस सन्दर्भ में संस्था द्वारा स्वतः स्पष्ट अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नही लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन/वसूली हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Current Assets				
Loans & Advances (Asset)				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	**Opening**	**Transactions**		**Closing**
Loans & Advances (Asset)				
WCA	13317.00 Dr	58500.00		71817.00 Dr
Initial Deposit A/c Against Staff Adv. for Bank A/c	5575.00 Dr			5575.00 Dr
LTC Advance	113316.50 Dr	59824.00	41320.00	131820.50 Dr
Ltc Advance	12103.00 Dr			12103.00 Dr
Medical Advance A/c	14472.57 Dr	42826.00		57298.57 Dr
Misc. Advance	550863.44 Dr	205000.00	354966.98	400896.46 Dr
Staff Advance Ac	31999.00 Dr	1448583.00	1427658.00	52924.00 Dr
TA/TTA Advance	1184067.50 Dr	6141.00	3500.00	1186708.50 Dr
Festival Advance	1182.00 Dr	10200.00	9150.00	2232.00 Dr
Staff Advance	6966184.00 Dr	13405794.00	12147478.00	8224500.00 Dr
HBA	2733352.00 Dr	161746.00	1024158.00	1870940.00 Dr
Total	**11626432.01 Dr**	**15398614.00**	**15008230.98**	**12016815.03 Dr**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 22.04.2022 द्वारा वर्णित बकाया राशि की वसूली/समायोजन न किये जाने हेतु किए गए प्रयासों बारे आवश्यक सूचना मॉगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनॉक 31.03.2020 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे भी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित से अग्रिमों की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके उक्त वर्णित राशि को यथाशीघ्र समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके व वित के सदुपयोग/कुशल प्रबन्धन को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) विविध अग्रिमों ₹255.49 लाख की वसूली/समायोजन न करना

Balance Sheet के साथ विविध अग्रिमों से सम्बन्धित संलग्न Current Assets Schedule-G की पडताल करने पर पाया गया कि "Misc Advance A/C" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत **Cr.** शेष

₹14114308.49 दर्शाया गया था जोकि Dr. शेषों की मदों के घटाव के पश्चात् शेष रहता था जबकि वास्तविक रूप से समायोजन/वसूली हेतु लम्बित कुल Debit ₹25549045..64 निम्न विवरणानुसार थी जिसमें अधिकतम राशियाँ गत कई वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित थी। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन/वसूली हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Current Assets				
MISC. ADVANCE A/c				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening Balance	Transactions Dr	Transactions Cr	Closing Balance
MISC. ADVANCE A/c				
Electronic Corpn Ltd It Bhawan Shimla	101010.00 Dr.			101010.00 Dr
Mis Advance Ac Deputy Controller Pres Shimla		77402.00	74146.00	3256.00 Dr
Mis Advance Ac (Nahan Division)	3117776.00 Dr.	18552901.00	21436400.00	234277.00 Dr.
Mis Advance Controller Printing Stationery Shimla		50554.00	36096.00	14458.00 Dr.
Misc Advance Account HPSCSC Ltd	505725.00 Dr.	7270395.00	7539891.00	236229.00 Dr
Misc. Advance Division Shimla 2	1679980.00 Dr.			1679980.00 Dr
Misc Advance (EleCrediticity Division Hamirpur)	12655.00 Dr.			12655.00 Dr
Misc. Advance (Electrical Division Shimla)	1088515.30 Dr	6315083.00	26400.00	7377198.30 Dr
Misc Advance of Officer/official	18.00 Dr.			18.00 Dr
Misc Advance -Parwanoo Div.	8193850.34 Dr.	26734116.00	30942469.00	3985497.34 Dr
Misc Advance R/F City Developer Chandigarh	210000.00 Dr.			210000.00 Dr
Misc. Adv. Recoverable From Woodvilla Rest House	1000.00 Dr.			1000.00 Dr
Miscellenous Advance Ac Contracter	10507802.00 Dr	11496485.00	16554363.00	5449924.00 Dr
Misc Advance A/c Shimla Division No-1	6243543.00 Dr			6243543.00 Dr
Total	**31661874.64** Dr	**70496936.00**	**76609765.00**	**25549045.64** Dr

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197, 203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 14.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा विभिन्न विभागों से वर्णित बकाया राशि की वसूली न किये जाने व वसूली हेतु किए गए प्रयासों बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः

अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों / विभागों द्वारा दिनॉक 31.03.2020 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित से अग्रिमों की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) लेखा शीर्षक Other Misc. Advance A/C के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹31.15 (Dr) लाख को समायोजित न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets-Schedule-G में Other Misc. Advance A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Dr. शेष **₹3060966.00** दर्शाया गया था जोकि क्रेडिट शेष **₹54310.00** के घटाव के पश्चात् शेष रहता था जबकि वास्तविक रूप में निम्न विवरणानुसार **Dr. ₹3115276.00** इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत गत कई वित्तीय वर्षों से नियमित रूप से दर्शाई जा रही थी जोकि दिनॉक 31.03.2020 तक समायोजन हेतु लम्बित थी। इसके अतिरिक्त Cr. दर्शाये गये शेष से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदत्त अग्रिम राशि की तुलना में अधिक राशि की वसूली / समायोजन किया गया है जिससे लेखों की विश्वसनियता संदिग्ध प्रतीत होती है व संस्था के लेखे सही वितीय स्थिति प्रस्तुत नहीं करते। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Current Assets OTHER MISC. ADVANCES 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening	Transactions		Closing
	Balance	Dr	Cr	Balance
OTHER MISC. ADVANCES	**3060966.00** Dr			**3060966.00** Dr
Misc. Advance Division Shimla-1	*3115276.00 Dr*			*3115276.00 Dr*
Misc. Adv.HPSCB Mohli	***54310.00 Cr.***			***54310.00 Cr.***

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनाँक 14.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को समायोजित न किए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्ति नही हुआ। अतः Other Misc. Advance A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि किसी प्रकार के वितीय दुर्विनियोजन की संभावना को नकारा जा सके।

28 मुद्रण व लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रदत्त अग्रिम ₹3.97 लाख का समायोजन न करना

लेखा शीर्ष "Advance to printing & Stationery Deptt." के अवलोकन करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम दिनाँक 31.03.2020 तक **₹3,96,896.46** समायोजन हेतु शेष थी इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नही लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता बही पृ0सं0	वित्तीय वर्ष	अग्रिम राशि (₹)	वर्ष में समायोजित राशि (₹)	वर्षान्त में बकाया राशि (₹)
485	2003-2004	1,66,342.94	1,01,740.00	64,602.94
491	2004-2005	1,85,593.00	2,06,307.00	43,888.94
404	2005-2006	2,00,000.00	1,81,218.00	62,670.94
121	2006-2007	2,50,000.00	2,39,020.00	73,650.94
472	2007-2008	3,75,000.00	3,14,135.00	1,34,515.94
437	2008-2009	3,50,000.00	1,39,788.00	3,44,727.94
562	2009-2010	3,00,000.00	2,86,756.00	3,57,971.00
523	2010-2011	1,50,000.00	1,35,896.00	3,72,075.00

445	2011-2012	2,00,000.00	2,80,389.00	2,91,686.94
शैड्यूल XXII	2012-2013	2,55,000.00	2,68,864.00	2,77,822.94
शैड्यूलXXXII	2013-2014	80,000.00	1,71,979.00	1,85,843.94
अनुसूची XL	2014-2015	1,85,843.94	102194.00	83649.94
अनुसूची XL	2015-2016	2,60,000.00	0.00	3,43,649.94
Schedule G	2016-17	1,90,000.00	0.00	5,33,649.94
Schedule XL	2017-18	2,60,000.00	0.00	**7,93,649.94**
Schedule G	2018-19	290000.00	536786.50	5,46,863.44
Schedule G	2019-20	5,46,863.44	149966.98	**3,96,896.46**

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अग्रिम राशियों का भुगतान उनके पास शेष राशि होने के बावजूद भी किया गया था जिस कारण दिनाँक 31.03.2020 तक कुल अग्रिम **₹3,96,896.46** शेष था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनाँक 14.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा उक्त विभाग से वर्णित बकाया राशि की वसूली न किये जाने व वसूली हेतु किए गए प्रयासों बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस राशि का समायोजन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के साथ लम्बी अवधि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी राशि के समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवश्यक छानबीन एव निपटारे हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस अन्तिम शेष बारे मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश से वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए जिससे इस अन्त शेष की सत्यता प्रमाणित हो सके।

29 अग्रिम आयकर विभाग ₹1341.18 लाख का भुगतान आयकर विभाग को करने के उपरान्त आयकर दायित्व को निर्धारित न करवाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Schedule G "Current Asstes" में **₹134117808.98** "Income Tax Recoverable From IT Department" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई थी। यह राशि निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2004–05 से लम्बित

चली आ रही है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। लगभग 15 से 16 वर्षों के पश्चात् इतनी बड़ी राशि का आयकर विभाग को विभिन्न वर्षों के दौरान अग्रिम रूप में भुगतान करना और लम्बे समय तक आयकर विभाग के साथ आयकर देनदारी को समायोजित किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही न करना संस्था की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:–

Detail of Income Tax Recoverable From IT Department

Current Assets				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	**Opening**	**Transactions**		**Closing**
	Balance	Dr.	Cr.	**Balance**
Income Tax Recoverable From IT Department				
TDS RECOVERABLE FROM I.T. DEPARTMENT	195871.31 Cr.			195871.31 Cr.
Income Tax on Colonies Rec From I.T.Deptt.(2004-05)	*97569079.29 Dr.*			*97569079.29 Dr.*
Income Tax on Colony (JNNURM)	*16688.00 Cr.*			*16688.00 Cr.*
Income Tax Recoverable From A.Y. 2006-07	*5000000.00 Dr.*			*5000000.00 Dr.*
Income Tax Recoverable From IT Department (09-10)	*19009532.00 Dr.*			*19009532.00 Dr.*
Income Tax Recoverable From IT Deptt. 2010-11	*5026443.00 Dr.*			*5026443.00 Dr.*
Income Tax Recoverable From IT Deptt. 2011-12	*3501696.00 Dr.*			*3501696.00 Dr.*
Income Tax Refund From I.T.Deptt. AY-07-08	*8127140.00 Cr.*			*8127140.00 Cr.*
TDS 2014-2015	*4365689.00 Dr.*			*4365689.00 Dr.*
TDS for Year 2013-14	*4336314.00 Dr.*			*4336314.00 Dr.*
TDS ON FDEBIT Year 2012-13	*3648755.00 Dr.*			*3648755.00 Dr.*
Total	**134117808.98 Dr.**			**134117808.98** Dr.

उक्त के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके / एसओ / स्टेट ऑडिट–2021–22–197, 203 व एसके / एसओ / स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 14.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा सम्बन्धित विभाग से वर्णित राशि की वसूली न किये जाने व वसूली हेतु किए गए प्रयासों बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि आयकर विभाग को किए गए अग्रिम

आयकर भुगतान के सम्बन्ध में उचित जाँच उपरान्त आयकर के अन्तिम कर निर्धारण हेतु मामला नियमानुसार आयकर विभाग से उठाया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

30 दिनाँक 31.03.2020 तक लेखा शीर्षक "Cash in Transit" के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹484.43 लाख Cr. व ₹229.99 लाख Dr.को समायोजित न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets Schedule G में लेखा शीर्षक Cash in Transit के अन्तर्गत **Cr.₹2,54,42,963.74** की राशि दर्शाई गई थी जिसमें निम्न विवरणानुसार **Cr. ₹48442963.00** तथा Dr **₹22999999.26** राशियाँ दर्शाई गई थी जिसमें कई निर्माण मण्डलों के सन्दर्भ में यह राशि गत कई वित्तीय वर्षों से यथावत ही दर्शाई जा रही है जिससे वर्णित राशियों के संदिग्ध होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है इससे यह भी प्रतीत होता है कि वास्तविकता में यह राशि है भी अथवा नहीं जबकि नियमानुसार Cash in Transit लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष या उसके आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाना अपेक्षित था। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सन्दर्भ में संस्था द्वारा स्वतः स्पष्ट विवरण को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Cash in Transit लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि का विवरण

Current Assets				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
CASH IN TRANSIT				
Particulars	**Opening Balance (₹)**	**Transactions**		**Closing Balance (₹)**
		Dr (₹)	Cr.(₹)	
CASH IN TRANSIT SHIMLA DIVISION -II	*2500000.00* Dr			*2500000.00* Dr
Dharamshala 4-2012	*15000000.00* Dr			*15000000.00* Dr
Dharmshala Cash in Transit (22.3.13)	*4999999.26* Dr			*4999999.26* Dr
EleCreditical Hamirpur Cash in Transit	*500000.00* Dr			*500000.00* Dr
Total	**22999999.26** Dr			**22999999.26** Dr

CASH IN TRANSIT				
Particulars	**Opening Balance (₹)**	**Transactions**		**Closing Balance (₹)**
		Dr. (₹)	Cr.(₹)	
CASH IN TRANSIT				
Cash in Transit Mandi Division	1000000.00 Cr.			1000000.00 Cr.
Division-I (Cash in Transit)	700000.00 Cr.			700000.00 Cr.
Electrical Shimla (Cash in Transit)	46742963.00 Cr.			46742963.00 Cr.
Total	**48442963.00 Cr.**			**48442963.00 Cr.**
			Net Amount	**2,54,42,963.74 Cr.**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197, 203 एसके/एसओ /स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 14.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा वर्णित राशि को समायोजित न किए जाने व तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः Cash in Transit लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का समायोजन वित्तीय वर्ष के दौरान भी न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि किसी प्रकार के वित्तीय दुर्विनियोजन की संभावना को नकारा जा सके।

31 **(क) वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets Schedule-G में Imprest & CSS A/C" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि और सम्बन्धित खाते (Ledger) में दिनॉक 31.03.2020 को दर्शाई गई राशि में ₹30.39 लाख (Dr.) का अन्तर पाया जाना**

नियमानुसार Imprest & CSS A/C –Cash Settlement Suspense A/C के अन्तर्गत वह राशियाँ दर्शाई जाती है जो Head Office द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान समय–समय पर विभिन्न निर्माण मण्डलों को उनके अधिकृत क्षेत्र में निर्माण कार्य निष्पादित करने हेतु जारी की जाती है। अंकेक्षण में वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets – Schedule-G में Imprest & CSS A/C Cash Settlemnt Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई Dr. ₹10,52,70,259.96 की जॉच में पाया गया कि सम्बन्धित बही खाते और Current Assets-Schedule-G में Imprest & CSS A/C Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दिनॉक 31.03.2020 को दर्शाई गई राशियों के बीच मे निम्न विवरणानुसार Dr ₹30,38,548.50 का अन्तर था

जिससे विदित होता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के HIMUDA के अन्तिम खाते (Final Accounts) संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते है। अंकेक्षण अवधि में Imprest & CSS A/C –Cash Settlement Suspense A/C के अन्तर्गत अन्तर की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है.–

Detail of difference between the amount shown in the Ledger Account of Imprest & CSS A/c and the amount shown in the Schedule "G" under the accounting head "Imprest & CSS A/c"	
Amount as per detail schedule of Current Assets-Schedule-G of Imprest & CSS A/C as on 31.03.2020 (Ledger A/C)	10,22,31,711.46 Dr
Amount as per Schedule "G" under the accounting head "Imprest & CSS A/C" as on 31.03.2020	10,52,70,259.96 Dr
Difference	**30,38,548.50** Dr

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–03 एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 05.04.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा वर्णित अन्तर बारे वस्तु स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः Current Assets Schedule-G में "Imprest & CSS A/C-Cash Settlement Suspense A/C" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि और सम्बन्धित खाते (Ledger) में दर्शाई गई राशि के बीच Dr ₹30,38,548.50 के अन्तर को उचित कारणों सहित या तो न्यायोचित ठहराया अन्यथा अन्तिम लेखों में इस त्रुटि का आवश्यक सुधार करके समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) Imprest & CSS Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹90538.24 (Dr) लाख को समायोजित न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets Schedule-G में Imprest & CSS A/C-Cash Settlement Suspense A/C (Ledger A/C) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत **Debit.** शेष **₹10,22,31,711.46** दर्शाया गया था जोकि **Cr.** शेषों के घटाव के पश्चात् शेष रहता था जबकि वास्तविक रूप से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत **Dr. ₹9,05,38,24,267.17** गत कई वित्तीय

वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित थी जिनके समायोजन हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही हिमुडा प्रबन्धन द्वारा नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त मे समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से था।

Current Assets				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
IMPREST & CSS A/C				
Particulars	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Dr (₹)	Cr. (₹)	
IMPREST & CSS A/C				
Divisions A/C	8000439891.17 Dr			8000439891.17 Dr
Parwanoo Division A/c	62762.00 Debit			62762.00 Dr
Imprest with EE Shimla Div No-I	328750000.00 Dr			328750000.00 Dr
Imprest with EE D/Shala Division	195612000.00 Dr	53500000.00	49500000.00	199612000.00 Dr
Imprest with EE D/shala (Elec) Div.	92844400.00 Debit	32000000.00	1500000.00	123344400.00 Dr
Imprest with EE Mandi Division	167500000.00 Dr	98750000.00	159500000.00	106750000.00 Dr
Imprest with EE Parwanoo Division	193742600.00 Dr	114305500.00	114305500.00	193742600.00 Dr
Imprest with EE Shimla Division	65998632.00 Debit	123560500.00	150738384.00	38820748.00 Dr
IMPREST WITH E.E. HIMUDA NAHAN	151944078.00 Dr	47500000.00	137142212.00	62301866.00 Dr
Total	**9196894363.17** Dr	**469616000.00**	**612686096.00**	**9053824267.17** Dr

वर्णित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–199, 203 एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 22.02.2022 व 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने व नियमानुसार अब तक कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः Imprest & CSS A/C-Cash Settlement Suspense A/C (Ledger A/C) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही भविष्य में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

32 लेखा शीर्षक Rectification (Cash Book)-1 के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹12.74 लाख Dr. को समायोजित न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Schedule-G में Rectification (Cash Book)-1 लेखा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई ₹12,73,840.24 Debit. का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह राशि गत कई वित्तीय वर्षों से नियमित रूप से दर्शाई जा रही है जिसके समायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 तक कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई थी इस सन्दर्भ मे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नही लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Current Assets 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020 Rectification (Cash Book)- 1				
Particulars	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Dr (₹)	Cr. (₹)	
Rectification (Cash Book)- 1	12,73,840.24 Dr	Nil	Nil	12,73,840.24 Dr

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बारम्बार यथाशीघ्र इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित राशि को समायोजित न किये जाने बारे आपति जताई गई थी परन्तु अभी तक संस्था द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनॉक 14.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा वर्णित राशि को समायोजित न किए जाने बारे आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः Rectification (Cash Book)-1 लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि का यथाशीघ्र समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

33 लेखा शीर्षक Suspense A/C (Current Assets) के अन्तर्गत दर्शाई गई (Dr.) ₹5.76 लाख को समायोजित न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Current Assets-Schedule-G में Suspense A/C (Current Assets) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई ₹5,76,425 Dr. की राशि का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह राशि गत कई

वित्तीय वर्षों से नियमित रूप से दर्शाई जा रही है जिनके समायोजन हेतु संस्थास्तर पर कोई भी ठोस कार्यवाही नही की गई थी। इसके अतिरिक्त इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सन्दर्भ मे स्वतः स्पष्ट विवरण को भी अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया था इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Suspense A/c (Current Assets)				
Particulars	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Dr. (₹)	Cr. (₹)	
Suspense A/c Cash Book Error Adjustable A/c	5,76,425.00 Dr	---	---	5,76,425.00 Dr.
Grand Total	5,76,425.00 Dr	---	---	5,76,425.00 Dr.

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याःएसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनॉक 14.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही है राशि को समायोजित न किए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्ति नहीं हुआ। अतः Suspense A/C (Current Assets) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही यथाशीघ्र इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि का समायोजन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 लेखा शीर्षक SunDebity Debtors के अन्तर्गत दर्शाई गई की ₹85.04 लाख (Dr.) की राशि को समायोजित न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Current Assets-Schedule-G में SunDebity Debtors लेखा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई ₹85,04,270.87 Dr. की राशि का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से नियमित रूप से दर्शाई जा रही है जिनके समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही हिमुडा प्राधिकारियो द्वारा नही की गई थी जिससे दर्शाये जा रहे देनदारों के संदिग्ध होने की संभावना से भी ईन्कार नहीं किया जा सकता। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वास्तविकता मे यह राशि है भी अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सन्दर्भ

में स्वतः स्पष्ट विवरण को भी अंकेक्षण मे प्रस्तुत नही किया गया था। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

SunDebity Debtors				
Particulars	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Dr. (₹)	Cr. (₹)	
SunDebity Debtors	8504270.87 Dr	---	---	8504270.87 Dr
Grand Total	**8504270.87** Dr	---	---	**8504270.87** Dr

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनॉक 14.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को लेखों में समायोजित न किए जाने बारे वस्तु स्थिति व स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः SunDebity Debtors लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही भविष्य में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को वार्षिक आधार पर समायोजित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और अपेक्षित सूचना सहित कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 वित्तीय वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित Current Assets Schedule-G में "Cost of Sale Receivable" लेखा शीर्ष अन्तर्गत दर्शाई गई ₹403.47 लाख (Dr.) की राशि का स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित Current Assets Schedule-G में लेखा शीर्ष "Cost of Sale Receivable" के अन्तर्गत दिनॉक 31.03.2020 को **Dr.** शेष ₹40347249.78 दर्शाया गया था तथा वर्णित राशि के समर्थन में कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया जिन कालौनियों की पूर्व के वर्षो में लागत का समायोजन अर्थात फाईनल कॉस्टिंग कर ली गई थी उनके आबंटियों से प्राप्त हो रही राशियों भी बिना समायोजन किए ही किस्त प्राप्ति लेखा शीर्ष में अनियमित प्रकार से दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त यह राशि गत कई वर्षो से यथावत ही दर्शाई जा रही है जिससे प्रतीत होता है कि यह राशि वास्तविकता में है भी अथवा नही। वर्णित अनियमितताए पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी नियमित

रूप से उठाई जाती रही है परन्तु अभी तक संस्थास्तर पर आवश्यक सुधार हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे।

Current Assets				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Dr. (₹)	Cr. (₹)	
COST OF SALES RECEIVABLE				
COSR- 5 Nos. MIG Houses KanDebitori	502500.00 Dr			502500.00 Dr
COSR- at Kelston	33050.00 Dr			33050.00 Dr
COSR- Baddi Ph 2,80N HIG,38N HIG&4N HIG-1&Ph.1 MIG	15722577.00 Dr			15722577.00 Dr
COSR- Commercial- Parwanoo	1770678.00 Dr			1770678.00 Dr
COSR- Commercial- Una	292933.00 Dr			292933.00 Dr
COSR- (EWS,LIG,HIG & MIG) Houses/flats-Sanjauli	135963.90 Dr			135963.90 Dr
COSR- (EWS,LIG,HIG & MIG)- Indora	39050.83 Dr			39050.83 Dr
COSR- EWS,LIG,HIG,MIG Type-1,2&3 Houses Una M&HIG	61176.75 Dr			61176.75 Dr
COSR-EWS, LIG, HIG-SOLAN	1309415.50 Dr			1309415.50 Dr
COSR- HIG 1 & 2 Kandori	348900.00 Dr			348900.00 Dr
COSR- HIG Cat-1,2&3 Houses Shoghi Garrage Shoghi	856265.00 Dr			856265.00 Dr
COSR- HIG Palampur	4812.00 Dr			4812.00 Dr
COSR- HIG Rampur	370000.00 Dr			370000.00 Dr
COSR- HIS Ponta Ph 1 & 2	2426546.02 Dr			2426546.02 Dr
COSR- Industrial- Parwanoo	10912251.35 Dr			10912251.35 Dr
COSR- Land Compensation Naya Nagar HMR	363018.00 Dr			363018.00 Dr
COSR- (LIG,HIG & MIG)- Indora	20237.00 Dr			20237.00 Dr
COSR- Mandi Colony (LIG,HIG & MIG)	68133.85 Dr			68133.85 Dr
COSR- MIG Ponta Ph.1	269866.68 Dr			269866.68 Dr
COSR- Naya Nagar Hamirpur(16Nos. & 49Nos.)	1050681.00 Dr			1050681.00 Dr
COSR- Naya Nagar HMR 19Nos. MIG Houses	813487.00 Dr			813487.00 Dr
COSR- of 18Nos. Cat 1 Flats SFS Sec-6 Parwanoo	2607.00 Dr			2607.00 Dr
COSR- of 29 Nos.Cat-3 Houses BinDebitaban(Palampur)Ph1	12998.00 Dr			12998.00 Dr
COSR- of 38Nos.Cat-1,2&3(H) BinDebitaban(Palampur)Ph 2	254675.00 Dr			254675.00 Dr
COSR- of 38Nos Cat-2 Houses BinDebitaban(Palampur) Ph1	26054.00 Dr			26054.00 Dr
COSR- of Commercial Baddi- School Site & Dispensary	623750.00 Dr			623750.00 Dr

COSR- of Shops at Kelston	104299.00 Dr			104299.00 Dr
COSR- of Type-3 Knollswood	2125.00 Dr			2125.00 Dr
COSR- Ph 1 & 2 Strawberry	10911.00 Dr			10911.00 Dr
COSR- (SFS Cat 1 & 2 Flats)- Solan	256928.00 Dr			256928.00 Dr
COSR- SFS Sec 6 Pwn Cat-2 84Nos & 24Nos Cat-3 Flats	1137383.90 Dr			1137383.90 Dr
COSR- SFS/SHC Parwanoo	139935.00 Dr			139935.00 Dr
COSR- SHC Jakhoo Shimla	184083.00 Dr			184083.00 Dr
COSR- SHC Kangra	111026.00 Dr			111026.00 Dr
SHC Jakhoo Shimla	108932.00 Dr			108932.00 Dr
Total	**40347249.78** Dr			**40347249.78** Dr

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197, 203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 14.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 के अन्तर्गत वाँछित स्पष्टिकरण के सन्दर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सम्बन्ध मे अपेक्षित अभिलेख तैयार करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 लेखा सिद्धान्तों के विपरीत ₹93590.58 लाख को Balance Sheet में Current Assets के विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत अन्तिम शेष को क्रेडिट दर्शाया जाना।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet से सम्बन्धित Current Assets Schedule-G का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न लेखा शीर्षकों का अन्तिम शेष **₹9359058010.49 Cr.** क्रेडिट दर्शाया गया था जबकि मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार चालू सम्पत्ति (Current Assets) का अन्तिम शेष हमेशा नाम (Debit) होना चाहिए। इस प्रकार चालू सम्पत्ति (Current Assets) का अन्तिम शेष क्रेडिट दर्शाए जाने से ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि कहीं चालू दायित्व (Current Liabilities) को चालू सम्पत्ति के अन्तर्गत वर्गीकृत करके समायोजित तो नहीं किया गया है जिसके कारण Balance Sheet संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करती। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

Current Assets

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020			
	Opening Balance (₹)	Transactions		Closing Balance (₹)
		Dr. (₹)	Cr. (₹)	
Income Tax Recoverable From IT Department				
TDS RECOVERABLE FROM I.T. DEPARTMENT	195871.31 Credit			195871.31 Credit
Income Tax on Colony (JNNURM)	16688.00 Credit			16688.00 Credit
Income Tax Refund From I.T.Deptt. AY-07-08	8127140.00 Credit			8127140.00 Credit
OTHER MISC. ADVANCES				
Misc. Adv.HPSCB Mehli	54310.00 Credit			54310.00 Credit
RENT CHARGES RECEIVABLE				
Rent Charges Receivable -Parwanoo Division	451123.00 Credit			451123.00 Credit
SERVICE TAX (ADJUSTABLE A/C)				
Service Tax Adjustable A/c	818.00 Credit			818.00 Credit
Water Charges Receivable				
Water Charges Recivable A/c Pwn Div	548473.00 Credit	7242680.00	8250376.00	1556169.00 Credit
Water Connection Fee. Ponta	2000.00 Credit			2000.00 Credit
Loans & Advances (Asset)				
Education Loan Recovery	2856.00 Credit		1000.00	3856.00 Credit
Intrest Reciept A/C Bank Deposit/saving	5811.00 Credit			5811.00 Credit
Cpf Advance	14826.00 Credit	96000.00	96000.00	14826.00 Credit
C.P.F Advance Ac (Nahan Division)	1000.00 Credit	6000.00	6000.00	1000.00 Credit
Education Loan A/c	261037.00 Credit	7500.00		253537.00 Credit
House Building Advance	440225.00 Credit			440225.00 Credit
House Builing Advance Ac -Mandi	73907.00 Credit			73907.00 Credit
Int. on HBA/MCA/WCA	150966.00 Credit		67674.00	218640.00 Credit
Loan Advance/recovery	11000.00 Credit			11000.00 Credit
Professional Course Advance	1875.00 Credit			1875.00 Credit
Pay Advance	19952.85 Credit			19952.85 Credit
Motor Car Scooter Advance	71452.00 Credit			71452.00 Credit
Warm Cloth Advance A/c	619834.25 Credit	130500.00	138721.00	628055.25 Credit
MAINTENANCE CHARGES RECEIVABLE				
Maintenance Charges Receivable	86654.00 Credit		15831000.00	15917654.00 Credit
Maintenance Charges Receivable Khadeen	58770.00 Credit			58770.00 Credit

Maintenance Charges Receivable Mandhala	4788458.00 Credit			4788458.00 Credit
Maintenance Charges Receivable Moginand	318870.00 Credit			318870.00 Credit
Maintenance Charges Receivable Poanta	1264836.00 Credit			1264836.00 Credit
Maintenance Charges Receivable PWN Divn	16736115.00 Credit			16736115.00 Credit
MATERIAL FOR WORKS IN STORES				
MPSSA	1071359.00 Credit			1071359.00 Credit
CASH IN TRANSIT	**25442963.74 Credit**			**25442963.74 Credit**
Cash in Transit Mandi Division	1000000.00 Credit			1000000.00 Credit
Division-1 (Cash in Transit)	700000.00 Credit			700000.00 Credit
Electrical Shimla (Cash in Transit)	46742963.00 Credit			46742963.00 Credit
RECOVERABLE AMOUNT ON A/C OF OTHER DEPT. SCHEME				
RECEIPT-POLICE RENTAL HOUSING SCHEME	239458627.00 Credit			239458627.00 Credit
Recovery of Personal Pay	8800.00 Credit			8800.00 Credit
SECURITY WITH OTHER DEPARTMENT				
Deposit A/c with Manager	98067.00 Credit	230000.00	196615.00	64682.00 Credit
Earnest Money and Security A/c	5397902.00 Credit	3351262.00		2046640.00 Credit
Security of Deshra Ground Pwn	35000.00 Credit	55000.00	45000.00	25000.00 Credit
Security with Other Deptt. Solan Div.	8106.50 Credit			8106.50 Credit
IMPREST & CSS A/C				
Cess A/c XEN HIMUDA DIVISION Elect.	987069.00 Credit			987069.00 Credit
Electrical Divn Imprest Account	689971.00 Credit			689971.00 Credit
Imprest with EE Shimla Div No-II	353591780.00 Credit			353591780.00 Credit
Imprest with EE SHIMLA (Elect) Div.	446165400.00 Credit	34600000.00	35233700.00	446799100.00 Credit
CASH SETTLEMENT SUSPENSE A/C	4265903.53 Credit	11129017.00	9995498.00	3132384.53 Credit
HEAD OFFICE	8082557674.29 Credit	966638339.26	1030472916.15	8146392251.18 Credit
MISC ADVANCE A/c				
Misc. Advance- Head Office	777714.49 Credit	10000.00	21985.00	789699.49 Credit
Mis Advance Ac of Hp Civil Supply Shimla	148580.00 Credit	1665371.00	3565315.00	2048524.00 Credit
Misc Adv A/c- Dharamshala Division	2756857.46 Credit			2756857.46 Credit
Misc Advance Mandi Div	34055148.18 Credit			34055148.18 Credit
Prof. Course Advance Ac	13125.00 Credit			13125.00 Credit
Total	**9280297879.60 Credit**	**1025161669.26**	**1103921800.15**	**9359058010.49 Credit**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:एसके / एसओ / स्टेट ऑडिट–2021–22–199, 203 एसके / एसओ / स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 22.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अन्तिम लेखों में आवश्यक सुधार करके शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय विवरण हिमुडा की सही स्थिति परिलक्षित कर सके।

37 (क) Current Assets Schedule-G के लेखा शीर्षक "Work in progress C/O Building" में वर्णित शेष (Dr.) ₹13679.09 लाख के अन्तर्गत Interest on OverDebitaft Against FDR ₹671.24 दर्शाने बारे

Current Assets -Schedule-G में "Work in progress C/O Building" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Dr. ₹1367908882.57 की राशि दर्शाई गई थी जिसमे दिनॉक 31.03.2020 तक "Interest on OverDraft Against FDR" की Debit. ₹67124157/– राशि में वर्ष 2019–2020 के दौरान Dr. ₹47071377/– की राशि भी सम्मिलित थी। मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार Interest on OverDraft against FDR की राशि Revenue Expenditure है तथा इसे हिमुडा के लाभ हानि खाते में Expenditure के अन्तर्गत वर्गीकृत करके दर्शाया जाना चाहिये था जिसके परिणामस्वरूप हिमुडा का वर्ष 2019–20 का लाभ ₹6,71,24,157/– Dr. से कम होना चाहिए था परन्तु वर्ष 2019–20 में इस राशि को Current Assets Schedule-G में "Work in progress C/O building" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हिमुडा द्वारा जानबूझ कर Expenditure को कम करके वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लाभ को बढ़ाने का प्रयास किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध मे बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु अभी तक संस्था द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गई थी। अंकेक्षण अवधि तक उक्त शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

WORK IN PROGRESS C/O BUILDINGS				
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020				
Particulars	Opening Balance	Transactions		Closing Balance
		Dr	Cr	
INTERST ON OVER DEBITAFT AGAINST FDEBIT	20052780.00 Dr	47071377.00		67124157.00 Dr.
Grand Total	20052780.00 Dr.	47071377.00		67124157.00 Dr.

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–213 व 216 दिनॉक 09.03.2022 व 11.03.2022 द्वारा Interest on OverDraft against FDR की ₹6,71,24,157/–Dr. की राशि को Profit & Loss Account में न दर्शाये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः लेखांकन सिद्धान्तों की अनदेखी करके Interest on OverDraft against FDR की ₹6,71,24,157/–(Dr.) की राशि को Current Assets के Schedule-G में "Work in Progress C/O Building" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अन्तिम लेखों में त्रुटि का आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 **बैंक से सावधि जमा के विरूद्ध ₹520.92 लाख का ऋण** (OverDraft) **प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट न करना।**

तुलन पत्र के Schedule-B-Loans (Liability) में Over Draft Against FDR (Loan) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत **₹52092150 Cr.** की राशि दर्शाई गई थी जिसका सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि दिनॉक 31.03.2019 को तुलन पत्र के अनुसार हिमुडा के पास FDEBIT में **₹45,72,48,927 Debit** शेष जमा थे जिसके विरूद्ध **₹16,53,02,395 Cr.** का ऋण (OverDraft) लिया गया था। वर्ष 2019–20 में वर्णित ऋण OverDraft राशि की अदायगी के उपरान्त दिनॉक 31.03.2020 को ₹52092150 Cr. अदायगी हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त उक्त ऋण पर देय ब्याज दर भी सावधि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज दर की अपेक्षा अधिक थी जिस कारण प्राप्त ऋण OverDraft का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–16 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 27.04.2022 तथा 22.04.2022 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सावधि जमा पर अर्जित ब्याज दर की अपेक्षा उच्च ब्याज दर पर बैंक से (OverDraft) ऋण लेने को या तो नियमानुसार तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस प्रकरण में संस्था को हुई वित्तीय हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

39 Work in progress As per % Completion Method लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹11630.16 (Dr.) लाख के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न करना

Current Assets Schedule-G में Work in progress As per % Completion Method लेखा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार **₹1,16,30,15,890.50** (Dr.) की राशि दर्शाई गई थी परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट नही हो सका कि Work in Progress As per % completion Method की गणना का आधार क्या था। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। उक्मइपज के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनॉक 14.02.2022 व 03.03. 2022 द्वारा Work in Progress As per % Completion Method की गणना बारे आवश्यक जानकारी मॉगी गई थी, परन्तु अकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध मे कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ तथा अपेक्षित सूचना के अभाव में वर्णित लेन–देन की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः इस लेखा शीर्षक के सन्दर्भ मे स्वतः स्पष्ट विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Work in Progress As Per % Complition Method				
Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020			
	Opening Balance (₹)	**Transactions**		**Closing Balance (₹)**
		Dr. (₹)	Cr.(₹)	
Work in Progress As Per % Complition Method	*1141620462.53* Dr	21395427.97		*1163015890.50* Dr
Grand Total	**1141620462.53** Dr	*21395427.97*		**1163015890.50** Dr

40 ₹448.09 लाख के निर्माण कार्यों को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Current Assets Schedule-G का अवलोकन करने पर पाया गया कि "Work completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ₹4,48,08,972.53 की राशि पिछले कई वित्तीय वर्षो से यथावत दर्शाई जा रही है "Work completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह निर्माण कार्य दर्शाये जाते है जो पूर्ण हो चुके है लेकिन

विक्रय हेतु शेष हैं। अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि गत कई वर्षों से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, जिससे यह संदेह होता है कि क्या यह निर्माण कार्य वास्तव में अभी तक हिमुडा के स्वामित्व में उपलब्ध है भी अथवा नहीं? वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में बार–बार गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई/दर्ज की गई थी, परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जोकि गम्भीर विषय है।

Work Completed In Hand

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	Opening Balance	Transactions Dr.	Transactions Cr	Closing Balance
Assets in Hand- Baddi Peripheri & Baddi Ph.3	4816560.00 Debit			4816560.00 Debit
Assets in Hand- Baddi Ph.1	2486479.00 Debit			2486479.00 Debit
Assets in Hand- Baddi Ph.2,2Nos HIG H282&283&P/N445	65000.00 Debit			65000.00 Debit
Assets in Hand- Basement Sanjauli	1968645.00 Debit			1968645.00 Debit
Assets in Hand- B/Ban Palampur Ph.1 799.07sqm. Land	847014.00 Debit			847014.00 Debit
Assets in Hand- B/Ban Palampur Ph.1 Cat.2 H/N.19&57	591000.00 Debit			591000.00 Debit
Assets in Hand- B/Ban Palampur Ph.1 Cat.3 H/N.72	534000.00 Debit			534000.00 Debit
Assets in Hand- B/Ban Palampur Ph.1 H/N.50-54	831040.00 Debit			831040.00 Debit
Assets in Hand-BBC Indora Land 572sqm @5431sqm	310596.00 Debit			310596.00 Debit
Assets in Hand- Com. Sites- Ponta Sahib(1559.31)	913365.00 Debit			913365.00 Debit
Assets in Hand- EWS Flats Ph-2 Solan	95000.00 Debit			95000.00 Debit
Assets in Hand- HIG Plot No.60 Solan	148000.00 Debit			148000.00 Debit
Assets in Hand- Knollswood	438283.00 Debit			438283.00 Debit
Assets in Hand- Land 40.49sqm. for 19Nos.Cat.3 Pwn.	1141503.00 Debit			1141503.00 Debit
Assets in Hand- Land693.80sqm.for 13Nos.Cat.2 Flats	942278.00 Debit			942278.00 Debit
Assets in Hand- Land at KanDebitori	399265.00 Debit			399265.00 Debit
Assets in Hand- Land Under Com.Booths 157.70sqm.SFS	120325.00 Debit			120325.00 Debit
Assets in Hand- MIG F/No.90 H/No.30 SHC Solan	553500.00 Debit			553500.00 Debit
Assets in Hand- Parwanoo	16086520.00 Debit			16086520.00 Debit
Assets in Hand- Parwanoo Land & Old Structure	10908843.53 Debit			10908843.53 Debit

276

Assets in Hand- Ph 2 F/N 2 B/23 SFS Solan	345000.00 Debit		345000.00 Debit
Assets in Hand- Raw Land Bank SHC Rampur	9173.00 Debit		9173.00 Debit
Assets in Hand- SHC Kangra	199000.00 Debit		199000.00 Debit
Assets in Hand- Una	58563.00 Debit		58563.00 Debit
Grand Total	**44808972.53 Debit**		**44808972.53 Debit**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197 व 203 दिनाँक 14.02.2022 व 03.03.2022 के माध्यम से Work Completed in hand के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वर्तमान में वास्तविक स्थिति बारे सूचना (Actual Factual Position) माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए तथा तदानुसार लेखों में आवश्यक सुधार भी सुनिश्चित किया जाए व वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 Current Assets-Schedule-G के अन्तर्गत ₹6.06 लाख के Revenue Expenditure को अनियमित रूप से दर्शाना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों एवं Current Assets Schedule-G की पड़ताल करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्न विवरणानुसार किए गए ₹6,06,418 के Revenue Expenditure को अनियमित रूप से Current Assets के अन्तर्गत दर्शाया गया था जबकि लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार यह सभी व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के Profit & Loss Account के व्यय पक्ष की ओर दर्शाये जाने अपेक्षित थे। परिणामतः वर्ष 2019–20 का लाभ ₹606418 से अधिक दर्शाया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिमुडा प्रबन्धन द्वारा जानबूझ कर Revenue Expenditurre को कम करके हिमुडा के वर्ष 2019–20 के वार्षिक लाभ को बढाने का प्रयास किया गया है जोकि गम्भीर अनियिमितता है।

Detail of Revenue Expenditure shown under Current Assets Schedule G		
Particulars	**Amount (₹)**	
Renovation Office Building at Nahan	27500	Dr
Income Tax (TDS) Pensioner A/C	413050	Dr

SFS Bajoura (Devta Ground)	14492	Dr.
SFS Hamirpur	126045	Dr.
SFS Dhaundi Mandi	25331	Dr.
Total	**606418**	Dr.

अंकेक्षण अधियाचना संख्याःएसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–199 व 203 दिनॉक 22.02.2022 व 03.03.2022 द्वारा Revenue Expenditure को अनियमित रूप से Current Asset के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारे उचित कारणो सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः लेखांकन सिद्धान्तों की अनदेखी करके ₹606418 के Revenure Expenditure को Current Assets Schedule-G के अन्तर्गत दर्शाये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा लेखों में त्रुटि का आवश्यक सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान Security with other Department लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय लेन–देन (Financial Transactions) के Dr शेष ₹804.32 लाख का औचित्य स्पष्ट न करना

तुलन पत्र में Current Assets Schedule-G में लेखा शीर्षक "Security with other Department" के अन्तर्गत Dr. शेष ₹77785028.50 **Dr.** दर्शाया गया था जिसका उपलब्ध करवाये गये सम्बन्धित अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 में इस शीर्षक के अन्तर्गत ₹8,04,32,545/– के डेबिट व क्रेडिट किए गए वित्तीय लेन–देन किसी भी रूप से "Security with other Department" से सम्बन्धित प्रतीत नहीं होते जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

SECURITY WITH OTHER DEPARTMENT

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	Opening Balance	Transactions		Closing Balance
		Dr.	Cr.	
Deposit A/c with Manager	98067.00 Credit	*230000.00*	*196615.00*	64682.00 Credit
Deposit Work As Per Trial -Mandi	78321023.00 Debit			78321023.00 Debit

Earnest Money and Security A/c	5397902.00 Credit	3351262.00		2046640.00 Credit
Security Deposit with PNB Una	200.00 Debit			200.00 Debit
Grand Total				**80432545Debit**

इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या:एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–197, 203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 14.02.2022, 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा उचित कारणों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित वित्तीय लेन–देन को "Security with Other Department" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा त्रुटियों का आवश्यक सुधार करके अन्तिम लेखों का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

43 **(क) Current Assets-Schedule-G में Material for works in Stores (NVP) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹39.36 लाख Dr. गत बीस–बाईस वर्षों से दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र के **Current Assets-Schedule-G में Material for works in Stores (NVP)** लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Dr ₹3935946.68 दर्शाई गई थी। पूर्व में वर्ष 2000–2001 में नगर विकास प्राधिकरण **(NVP)** का विलय हिमुडा में हुआ था उसी समय से Dr राशि को हिमुडा के तुलन पत्र में **Current Assets** के रूप में दर्शाया जा रहा है। लगभग बीस से बाईस वर्षों के उपरान्त भी **Material for works in Stores (NVP)** के अन्तर्गत राशि को प्रतिवर्ष यथावत दर्शाये जाने से संशय होता है कि वास्तव में यह **works material Stores** में भौतिक रूप से मौजूद भी है अथवा नहीं। यदि उक्त सामग्री भौतिक रूप से स्टॉक/स्टोर में मौजूद है, तो भी निश्चित रूप से वर्तमान समय में 20–22 वर्ष उपरान्त सामग्री का अधिकतर भाग उपयोग योग्य नहीं है क्योंकि संस्था द्वारा सामग्री के सन्दर्भ में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त लाखों की सामग्री को इतने अधिक समय से हिमुडा द्वारा उपयोग में न लाने से हिमुडा को निश्चित रूप से वित्तीय हानि हुई है। वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–213 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः **Material for works in Stores (NVP)** ₹3935946.68 Dr. का विगत कई वर्षों से उपयोग में न लाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित प्रकरण हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि संस्थास्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उतरदायित्व निर्धारित करके प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त राशि का समायोजन तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति मे दण्ड व्याज सहित राशि की वूसली उचित स्त्रोत से करके नियमानुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता को नकारा जा सके।

(ख) Current Assets-Schedule-G में Other Misc. Advances (NVP) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹2.42 लाख Dr. गत बीस–बाईस वर्षों से दर्शाये का औचित्य स्पष्ट न करना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के तुलन पत्र के **Current Assets-Schedule-G में Other Misc. Advances (NVP)** लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹241644.37 Dr. दर्शाई गई थी। पूर्व में वर्ष 2000–2001 में नगर विकास प्राधिकरण **(NVP)** का विलय हिमुडा में हुआ था उसी समय से उक्त राशि को हिमुडा के तुलन पत्र में **Current Assets** के रूप में दर्शाया जा रहा है। लगभग बीस से बाईस वर्षों के उपरान्त भी राशि को प्रतिवर्ष यथावत दर्शाये जाना राशि के दुर्विनियोजन को ईंगित करता है। इसके अतिरिक्त लाखों की राशि को इतने अधिक समय से हिमुडा द्वारा समायोजित/वसूली न करने के कारण हिमुडा को निश्चित रूप से वितीय हानि हुई है। वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–213 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022 –23–14 दिनाँक 09.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः विगत कई वर्षों से ₹2,41,644.37 का समायोजन/वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित प्रकरण हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि संस्थास्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उतरदायित्व निर्धारित करके प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त राशि

का समायोजन तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति मे दण्ड ब्याज सहित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके निमयानुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता को नकारा जा सके।

44.1 विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों (Financial Transactions) को हिमुडा के अन्तिम लेखों में वास्तविकता से ₹6.63 लाख Dr. से कम व ₹0.03 लाख Cr. से अधिक समायोजित करना

हिमुडा के निर्माण मण्डलों के मूल Trial Balance में दर्शाए गए विभिन्न वित्तीय लेन–देन की राशियो का दिनॉक 31.03.2020 को हिमुडा के अन्तिम लेखों मे समायोजन करने हेतु की गई Journal Entries के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा के अन्तिम लेखों में निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित **Dr.₹662875** के वित्तीय लेन–देनों को वास्तविक राशि से कम तथा **Cr.** ₹3000 के वित्तीय लेन–देनों को वास्तविक राशि से अधिक क्रेडिट करके समायोजन किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण हिमुडा के अन्तिम लेखे इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। अंकेक्षण के दौरान पाई गई इस प्रकार की प्रविष्टियों का विवरण प्रकार से है:–

Less/Excess Entries taken in the Books of HQ											
Sr. No	Jr. No	Date	Accounting Head	Amount Shown In Division Trial	Debit. /Credit	Amount Shown in Journal Vr. In Head office Books	Debit. /Credit	Excess/Less Exp/Income Shown in Head office Books (Debit.)	Debit. /Credit	Excess /Less Exp/Income Shown in Head office Books (Cr.)	Net Effect
	Division Shimla										
1	22	31.03.2020	Stock Storage Shimla Division -I	144240.00	Debit.	117360.00	Debit.	26880.00	Debit.		Less Debit.
	Division Nahan										
1	3	31.03.2020	R/M annual Repair Mahind Kbit a HP -03-C 0070	468768.00	Debit.	46768.00	Debit.	422000.00	Debit.		Less Debit.
3	8	31.03.2020	Annual Repair of WSS Paonta Sahib (Nahan)	115015.00	Debit.	114715.00	Debit.	300.00	Debit.		Less Debit.

5	21	31.03.2020	Departmental Charges Nahan	9046173.00	Credit	9049173.00	Creditedit		Creditedit	3000.00	Excess Credit
	Division Parwanoo										
1	4	31.03.2020	Pol Charges of Innova HP -51-0024	230530.00	Debit	16835.00	Debit	213695.00	Debit		Less Debit
Total				10004726.00		9344851.00		662875.00		3000.00	

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–203 दिनॉक 03.03.2022 के अन्तर्गत तथ्यो सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों को हिमुडा के अन्तिम लेखो में वास्तविक राशि से अधिक/कम समायोजित करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आय–व्यय के वास्तविक आंकडों के आधार पर अन्तिम लेखों में संशोधन करके वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44.2 विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देन (Financial Transactions) को हिमुडा के अन्तिम लेखों में ₹12.32 लाख Dr. व ₹339.97 लाख Cr. को समायोजित न करना

हिमुडा के निर्माण मण्डलों के मूल Trial Balance में दर्शाए गए विभिन्न वित्तीय लेन–देन की राशियों का दिनॉक 31.03.2020 को हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजन करने हेतु की गई Journal Entries के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा के अन्तिम लेखों में निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित ₹12.31956 लाख **Dr.** तथा ₹339.97384 **Cr.** के वित्तीय लेन–देनों को डेबिट/क्रेडिट नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण हिमुडा के अन्तिम लेखे इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। अंकेक्षण के दौरान पाई गई इस प्रकार की प्रविष्टियों का विवरण प्रकार से है।

Entries Not taken in the books of HQ											
Sr. No	**Jr. No**	**Date**	**Accounting Head**	**Amount Shown In Division Trial**	**Dr./ Cr.**	**Amount Shown in Journal Vr. In Head office Books**	**Dr. /Cr.**	**Excess/ Less Exp/ Income Shown in Head office Books (Debit.)**	**Dr. /Cr.**	**Excess/Less Exp/Income Shown in Head office Books (Credited it)**	**Net Effect**
	Division Nahan										
1	...	31.03.2020	Earnest Money & Security	2712936.00	Cr.	0.00	Cr.		Cr.	2712936.00	Less Cr.
2	...	31.03.2020	Misc. Deposite Account	8140195.00	Cr.	0.00	Cr.		Cr.	8140195.00	Less Cr.
		31-03-2020	Departmental Charges	15223	Dr.	0		15223	Dr.		Less Dr.
		31-03-2020	Departmental Charges	23135093	Cr.	0			Cr.	23135093	Less Cr.
	Division Dharamshala										
1	...	31.03.2020	Water Meter Security Una	1800.00	Dr.	0.00	Dr.	1800.00	Dr.		Less Dr.
	Division Mandi										
1	...	31.03.2020	Income Tax A/C	1182260.00	Dr.	0.00	Dr.	1182260.00	Dr.		Less Dr.
2	...	31.03.2020	AR & MO Shopping Complex at Kullu	9160.00	Cr.	0.00	Cr.		Cr.	9160.00	Less Cr.
3	...	31.03.2020	AR & MO Est. Sewerage	30380.00	Dr.	0.00	Dr.	30380.00	Dr.		Less Dr.
4	..	31.03.2020	PSES Bilaspur	2293.00	Dr.	0.00	Dr.	2293.00	Dr.		Less Dr.
Total				**35229340.00**		**0.00**		**1231956.00**		**33997384.00**	

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2021-22 203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट-2022-23-14 दिनांक 03.03.2022 तथा 22.04.2022 के अन्तर्गत तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु

अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों को हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आय–व्यय के वास्तविक आंकडों के आधार पर अन्तिम लेखों में संशोधन करके वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

44.3 वित्तीय लेन–देनों (Financial Transactions) के विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित न होने के बावजूद भी हिमुडा के अन्तिम लेखों में ₹104.49 लाख Dr. व ₹114.62 लाख Cr. का समायोजन करना

हिमुडा के निर्माण मण्डलों के मूल Trial Balance में दर्शाए गए विभिन्न वित्तीय लेन–देन की राशियों का दिनॉक 31.03.2020 को हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजन करने हेतु की गई Journal Entries के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा के अन्तिम लेखों में वित्तीय लेन–देनों के निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित न होने के बावजूद ₹10449384 **Dr.** तथा ₹11462464 **Cr.** को अधिक डेबिट/क्रेडिट किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण हिमुडा के अन्तिम लेखे इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। अंकेक्षण के दौरान पाई गई इस प्रकार की प्रविष्टियों का विवरण प्रकार से है।

Entries not in trial but taken in the Books of HQ											
Sr. No	Jr. No	Date	Accounting Head	Amount Shown In Division Trial	Dr./Cr.	Amount Shown in Journal Vr. In Head office Books	Dr./Cr.	Excess/Less Exp/Income Shown in Head office Books (Debit.)	Dr./Cr.	Excess/Less Exp/Income Shown in Head office Books (Cr.)	Net Effect
		Division Nahan									
2	2	31.03.2020	Water Connection Fee Subhkhera	0.00	Cr	11198221.00	Cr		Cr	11198221.00	Excess Cr
4	21	31.03.2020	Departmental Charges Nahan	0.00	Dr	9049173.00	Dr	9049173.00	Dr		Excess Dr
		Electrical Division Shimla									
1	4	31.03.2020	Service tax (Elect Shimla)	0.00	Cr	264243.00	Cr		Cr	264243.00	Excess Cr

284

Division Dharamshala											
1	7	31.03.2020	Water Meter Connection Security Khaniyara	0.00	Dr	300.00	Dr	300.00	Dr		Excess Dr
2	7	31.03.2020	Water Meter Connection Security Kangra	0.00	Dr	42444.00	Dr	42444.00	Dr		Excess Dr
Electrical Division Dharamshala											
1	5	31.03.2020	SOP to Circle office at Rakkar	0.00	Dr	92875.00	Dr	92875.00	Dr		Excess Dr
2	6	31.03.2020	SOP to Circle office at Rakkar	0.00	Dr	82332.00	Dr	82332.00	Dr		Excess Dr
Division Mandi											
1	1	31.03.2020	Receipt from CEO Cum Se Crediterary (HIMUDA)	0.00	Debit	1182260.00	Debit	1182260.00	Debit		Excess Debit
Total				**0.00**		**21911848.00**		**10449384.00**		**11462464.00**	

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 03.03.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा तथ्यो सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः विभिन्न निर्माण मण्डलों से वित्तीय लेन–देनों के सम्बन्धित न होने के बावजूद भी हिमुडा के अन्तिम लेखो मे वित्तीय लेन देनों को समायोजित करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आय–व्यय के वास्तविक आकड़ों के आधार पर अन्तिम लेखों में संशोधन करके वित्तीय विवरणियों का शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44.4 विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों (Financial Transactions) का समायोजन हिमुडा के अन्तिम लेखों में वास्तविक शीर्षों में न करके ₹296.98 लाख Dr.व ₹146.85 लाख Cr. को अन्य शीर्षकों में समायोजित करना

हिमुडा के निर्माण मण्डलों के मूल Trial Balance में दर्शाए गए विभिन्न वित्तीय लेन–देन की राशियों का दिनॉक 31.03.2020 को हिमुडा के अन्तिम लेखों में समायोजन करने हेतु की गई Journal Entries के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा के अन्तिम लेखों में निर्माण

मण्डलों से सम्बन्धित ₹29698107 **Dr.** तथा ₹14684524 **Cr.** के वित्तीय लेन–देनों का वास्तविक शीर्षों मे समायोजन न करके अन्य शीर्षकों में समायोजन किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण हिमुडा के अन्तिम लेखे इस हद तक सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। अंकेक्षण के दौरान पाई गई इस प्रकार की प्रविष्टियों का विवरण प्रकार से है।

Entered in Wrong Head in books of accounts of HIMUDA Head Office						
Jr. vr. No	**Date**	**Accounting Head in Trial Balance**	**Accounting Head Journalized in Head Office Books**	**Amount Dr.**	**Amount Cr.**	**Dr./Cr.**
		Division Shimla				
10	31-03-2020	C/O GSSS Telor, Block Nerwa, Distt. Shimla	C/O GSSS Jhokar Block chopal	1161954.00		Dr.
12	31-03-2020	C/o MS Plat form 4 Nos. water tanks Roofing etc. D.G. Set, Nigam vihar	SH:- C/O M.S. Gate Near N.H. at Dutt Nagar	37585.00		Dr.
19	31-03-2020	Sh. Mohit Kumar	Sh. Mohinder Singh Thakur		18963.00	Cr.
		Division Nahan				
3	31-03-2020	R/M Annual MahinDebita HP- 03-C 0030(POL)	outturn of Scorpio HP- 03-C 0030(Nahan)	468768.00		Dr.
6	31-03-2020	EPF	CPF/EPF Board Share A/C		16739.00	Cr.
13	31-03-2020	D/O Housing Colony Sheel	H/C Cleaning of Jungle	1052770.00		Dr.
		Division Parwanoo				
1	31-03-2020	Rent From HIMUDA Building Houses	House Rent/Guest House Pwn. Div.	3909.00		Dr.
4	31-03-2020	Annual Repair of Innova HP 51-0024	Pol charges of Innova HP 51-0024	313295.00		Dr.
10	31-03-2020	CSS A/C XEN HIMUDA Division Nahan	CSS A/C XEN HIMUDA Div - I Shimla	1119276.00		Dr.

286

12	31-03-2020	AR&MO WSS Watch & Ward Charges Baddi	Special Repair of WSS Parwanoo	73600.00		Dr.
14	31-03-2020	Annual Repair of Innova HP 51-0024	outturn of Vehicle		14648822.00	Cr.
20	31-03-2020	S/Repair DSP Residence Police Qtrs at parwanoo	C/O Add S.P. Residence Police Qtrs at Baddi	134756.00		Dr.
		Electrical Division Shimla				
4	31-03-2020	Misc Deposit (On Account of 1% Cess of Labour Deptt.)	Misc. Exp. (Elect. Division Shimla)	209271.00		Dr.
4	31-03-2020	Misc Deposit (On Account of 1% Cess of Labour Deptt.)	Misc. Exp. (Elect. Division Shimla)		164121.00	Cr.
5	31-03-2020	H.O. Contingency Misc Unforseen (Outturn of Vehicles)	Misc Advance (Electrical Division shimla)	6315083.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 07C/0022	outum of H.P. 07C/0022413104	413104.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.03B-0744	outum of H.P.03B-0744	165130.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 68B/0001	outum of H.P. 68B/0001	269120.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.07A/0592	outum of H.P.07A/0592	322354.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 63A/607	outum of H.P. 63A/607	125224.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 68A/0012	outum of H.P. 68A/0012	550106.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.52B/0012	outum of H.P.52B/0012	432157.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.07D/0439	outum of H.P.07D/0439	212930.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.90/0021	outum of H.P.90/0021	628647.00		Dr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.07A/9900	outum of H.P.07A/9900	190844.00		Dr.

6	31-03-2020	R/M of H.P. 07C/0022	outurn of H.P. 07C/0022413104		1404939.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.03B-0744	outurn of H.P.03B-0744		1176716.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 68B/0001	outurn of H.P. 68B/0001		2402894.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.07A/0592	outurn of H.P.07A/0592		1298768.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 63A/607	outurn of H.P. 63A/607		623992.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 68A/0012	outurn of H.P. 68A/0012		1878850.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.52B/0012	outurn of H.P.52B/0012		1297730.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.07D/0439	outurn of H.P.07D/0439		573426.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P. 51/0024	outurn of H.P. 51/0024		1183615.00	Cr.
6	31-03-2020	R/M of H.P.07A/9900	outurn of H.P.07A/9900		589101.00	Cr.
8	31-03-2020	R/M of Vice Chairman Residence BCS New Shimla.	R/M HIMUDA Rest House BCS New Shimla	17424.00		Dr.
		Imprest A/C	Not entered	22500.00		Dr.
		Dharamshala Division				
8	31-03-2020	R/M of Balero H.P. 07 C2647	Outturn Balero H.P. 07 C 2647	98470.00		Dr.
		Electrical Division Dharamshala				
2	31-03-2020	PSFS Hamirpur (SH: Pdg. Int. El Work to 12 Nos. cat-I Flats with Parking)	SFS at Bilaspur C/O 12 Nos. Cat-III at Bilaspur	8361.00		Dr.
4	31-03-2020	C/O PSFS BinDebitaban Palampur	SFS Haripur Chamba	1481852.00		Dr.
4	31-03-2020	C/O PSFS BinDebitaban Palampur	SFS Haripur Chamba	612106.00		Dr.
12	31-03-2020	C/O BSC Nursing College Paprola Kangra	C/O PG Girls Hostel Ayurvedic Hospital Poprola	407266.00		Dr.

Division Mandi						
1	31-03-2020	Supdt. Of Police Hamirpur	Rt. Suptt. Of Police Mandi		1500000.00	Cr.
4	31-03-2020	R/M of Bolero No. HP-07-0517	R/M of Bolero No. HP-07-0360	65192.00		Dr.
5	31-03-2020	Misc. Advance	Misc. Receipt Mandi Division	15217314.00		Dr.
5	31-03-2020	Misc. Advance	Misc. Receipt Mandi Division	12618030.00		Dr.
17	31-03-2020	C/O Liabrary Hall at GDC Ghumarwin Distt. Bilaspur	SC/ST G Hostel Govt College Ghumarwin	297571.00		Dr.
Total				**45046969.00**	**28778676.00**	

उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–203 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनॉक 03.03.2022 तथा 22.04.2022 के अन्तर्गत तथ्यो सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों का समायोजन हिमुडा के अन्तिम लेखो में सम्बन्धित/वास्तविक शीर्षक से न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आय–व्यय का समायोजन वास्तविक शीर्षानुसार करके अन्तिम लेखों में संशोधन/शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

45 **वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Schedule-A-Reserve & Surplus में Interest Redemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹366.16 लाख Cr. का लेखों में उचित समायोजन न करना**

वित्तीय वर्ष 2019–20 की Balance Sheet के Schedule-A, Reserve & Surplus में Interest Reemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹36616025.17 Cr. दर्शाई गई थी जिसके अंकेक्षण में पाया गया कि वर्णित राशि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत गत कई वित्तीय वर्षों से ज्यों कि त्यों यथावत ही दर्शाई जा रही है तथा गत कई वित्तीय वर्षों पश्चात भी इन राशियों का

समायोजन सम्बन्धित आवासीय कलौनियों की लागत में न करना अपने आप में गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Particulars	Opening Balance (₹)	Closing Balance (₹)
Excess Interest Charged to Colonies Kelston	8,74,119.77 Dr.	8,74,119.77 Dr.
Interest Redemption A/c – Baddi Ph.-2	66,91,581.87 Cr.	66,91,581.87 Cr.
Interest Redemption A/c-Commr. Kelston	85,670.70 Cr.	85,670.70 Cr.
Interest Redemption A/c- Commr. Una	30,19,883.43 Cr.	30,19,883.43 Cr.
Interest Redemption A/c- Indora Colony	33,529.00 Cr.	33,529.00 Cr.
Interest Redemption A/c- Mandi Colony	8,32,983.30 Cr.	8,32,983.30 Cr.
Interest Redemption A/c- Poanta Factory Ph. 1 &2	7,04,938.18 Cr.	7,04,938.18 Cr.
Interest Redemption A/c- SHC Shogi	50,97,579.00 Cr.	50,97,579.00 Cr.
Interest Redemption A/c- Strawberry Shimla	22,65,957.85 Dr.	22,65,957.85 Dr.
Interest Redemption A/c- Type-1,2&3 Knollswood	3,60,636.50 Cr.	3,60,636.50 Cr.
Interest Redemption A/c- Various Colonies	2,29,29,300.81 Cr.	2,29,29,300.81 Cr.
Total	**3,66,16,025.17 Cr.**	**3,66,16,025.17 Cr.**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–03 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनांक 05.04.2022 तथा 22.04.2022 द्वारा Interest Redemption A/C लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को सम्बन्धित आवासीय कालौनियों की लागत में समायोजित न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अत: कई वित्तीय वर्षों पश्चात भी Interest Redemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को सम्बन्धित आवासीय कलौनियों की लागत में समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्णित राशि को सम्बन्धित आवासीय कलौनियों की लागत में समायोजित करने बारे आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।